



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122023-250990
CG-DL-E-30122023-250990

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 2023/पौष 7, 1945

No. 318]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 2023/PAUSHA 7, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली 28 दिसम्बर, 2023

एडी (एसएसआर) मामला सं. 06/2023

विषय: चीन जन. गण. से सोलर मॉड्यूल के लिए "एथीलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए) शीट" आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. फा.स. 7/12/2023-डीजीटीआर.—समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है), के अनुसार मै. रिन्यूशिस इंडिया प्रा.लि. (जिसे आगे "याचिकाकर्ता" या "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोलर मॉड्यूल के लिए एथीलीन

विनायल एसीटेट (ईवीए) शीट” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने संबंध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने का आरोप लगाया है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।
3. अधिनियम की धारा 9 क, (5) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले नहीं हटाया जाए तो उसे लगाने की तारीख से 5 वर्षों की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। उक्त के अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
4. नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

“...इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर उस अवधि से पहले, उस अवधि की समाप्ति से तर्कसंगत अवधि के भीतर एक समीक्षा द्वारा इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि उक्त पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।”

5. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से दायर पाटन और क्षति की संभावना के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य वाले विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/12/2023-डीजीटीआर दिनांक 20 सितंबर, 2023 के माध्यम से निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की और यह जांच करने के लिए कि क्या उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है और क्या चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की आवश्यकता है।
6. पूर्व में प्राधिकारी ने दिनांक 4.4.2018 को चीन, मलेशिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत की थी और जांच करने के बाद अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 06/9/2018-डीजीएडी दिनांक 21.02.2019 के माध्यम से चीन, मलेशिया, थाईलैंड और सऊदी अरब से आयातों के विरुद्ध निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 15/2019 – सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29.03.2018 के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
7. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में बताया है कि शुल्क लगाने के बाद एडीडी के अधीन अन्य देशों जैसे मलेशिया, थाईलैंड और सऊदी अरब से आयात काफी घट गए हैं और पीओआई या पीओआई से पूर्व के वर्ष में कोई आयात नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में उक्त देशों से पाटन या क्षति की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार घरेलू उद्योग ने केवल चीन के विरुद्ध शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है।
8. वर्तमान समीक्षा के दायरे में अंतिम जांच परिणाम सं. 06/9/2018-डीजीएडी दिनांक 21.02.2019 के माध्यम से जारी संबद्ध वस्तु से संबंधित पूर्ववर्ती जांच के सभी पहलू जिन्हें सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 15/2019 – सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29.03.2018 के द्वारा कार्यान्वित किया गया था और जो इस तथ्य के अधीन है कि वर्तमान जांच चीन से संबद्ध वस्तु के आयातों तक सीमित है, शामिल है।

ख. प्रक्रिया

9. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - i. उक्त नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सोलर मॉड्यूल के लिए एथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए) शीट” पर पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क के निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है और पाटन जारी रहने का आरोप लगाया गया है।

- ii. यद्यपि मूल जांच में चीन, मलेशिया, थाईलैंड और सऊदी अरब के विरुद्ध शुल्क लगाए गए थे। तथापि घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में यह बताया कि शुल्क लगाने के बाद एडीडी के अधीन अन्य देशों जैसे मलेशिया, थाईलैंड और सऊदी अरब से आयात काफी घट गए हैं और पीओआई या पीओआई से पूर्व के वर्ष में कोई आयात नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में उक्त देशों से पाटन या क्षति की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार घरेलू उद्योग ने केवल चीन के विरुद्ध शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है।
- iii. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले पाटनरोधी आवेदन पत्र के निर्णायक समीक्षा के प्राप्त होने के संबंध में भारत में चीन के दूतावास को अधिसूचित किया।
- iv. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 20 सितंबर, 2023 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी।
- v. प्राधिकारी ने भारत में चीन के दूतावास, चीन से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी और उनसे जांच शुरुआत अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था।
- vi. प्राधिकारी ने चीन से निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों (जिनके ब्यौरे आवेदक ने उपलब्ध कराए थे) से संगत सूचना मंगाने के लिए निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी और एडी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया था।

क्र. सं.	निर्यातक देश से उत्पादकों का ब्यौरा
1	हांगझोऊ फर्स्ट एप्लाइड मटेरियल कंपनी लिमिटेड
2	चांगझोऊ स्वेक फोटोवोल्टिक न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
3	साइब्रिड (झेजियांग) टेक्नोलॉजी इंक.
4	साइब्रिड टेक्नोलॉजी इंक.
5	एवरसोला होलिंग कंपनी लिमिटेड
6	टोयोटा दाइहात्सू इंजीनियरिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी
7	चांगझोऊ बीबेटर इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
8	टियांजिन कैडा न्यू मटेरियल्स टेक्नोल
9	फर्स्ट मटेरियल साइंस थाईलैंड कंपनी लिमिटेड
10	जियांगसू लुशान न्यू मटेरियल्स
11	एवर श्राइविंग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
12	चांगझाऊ फुफेंग मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

- vii. केवल चांगझोऊ स्वेक फोटोवोल्टिक न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड ने उक्त मामले में प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत किया है।
- viii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं / प्रयोक्ता एसोसिएशनों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी और नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचार से अवगत कराने की सलाह दी थी।

क्र. सं.	आयातकों के नाम
1	आदित्य क्लीन एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2	अग्रवाल रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	आयातकों के नाम
3	एल्पेक्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड
4	अंकुर ट्रेडर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
5	ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	भाग्यनगर एनर्जी एंड टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड
7	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
8	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
9	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
10	सिटीजन सोलर प्राइवेट लिमिटेड
11	कॉन्ट्रेड्जे ग्रीनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
12	कॉस्मिक पीवी पावर प्राइवेट लिमिटेड
13	क्रेडेंस सोलर पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड
14	इकोसी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
15	एम्मी फोटोवोल्टिक पावर प्राइवेट लिमिटेड
16	एन्के सोलर पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
17	गौतम सोलर प्राइवेट लिमिटेड
18	जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
19	गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड
20	गोल्डी सन प्राइवेट लिमिटेड
21	ग्रीन ब्रिलियंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
22	हर सोलर प्राइवेट लिमिटेड 1398
23	हरिकृपा सोलर एंड इंजीनियरिंग
24	एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड
25	हिमालयन सोलर प्राइवेट लिमिटेड
26	एचआर सोलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
27	आइकन सोलर एन पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
28	इंदरका एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
29	इन्सोलेशन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
30	इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
31	जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड
32	जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड
33	जेपी सोलर
34	ज्योतिटक सोलर एलएलपी
35	कोसोल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
36	क्रेटस सोलर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
37	लुबी इलेक्ट्रॉनिक्स

क्र. सं.	आयातकों के नाम
38	मेसर्स गणेश इलेक्ट्रिकल्स प्रा.लि
39	मेसर्स आईटीआई लिमिटेड
40	मेसर्स ऊर्जास्ट्रोटे एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
41	मेसर्स आत्मनिर्भर सोलर प्राइवेट लिमिटेड
42	मेसर्स अभिषेक सोलर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
43	मेसर्स अमेया सोलर एंड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड
44	मेसर्स ब्लूबर्ड सोलर प्राइवेट लिमिटेड
45	मेसर्स ईसीई (इंडिया) एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड।
46	मेसर्स फुजियामा पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
47	मेसर्स जीनस इनोवेशन लिमिटेड
48	मेसर्स इनोवेटिव सोलर सल्यूशंस
49	मेसर्स जे जे पीवी सोलर प्राइवेट लिमिटेड
50	मेसर्स न्यालकरन एनर्जी एलएलपी
51	मेसर्स राजरत्न वेंचर्स लिमिटेड
52	मेसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)
53	मेसर्स रिन्यूसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
54	मेसर्स एसएसएसए एनर्जी एलएलपी
55	मेसर्स शांति सोलर
56	मेसर्स शिवम फोटोवोल्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
57	मेसर्स सनबॉन्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
58	मेसर्स सनफील्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
59	मेसर्स सनिफ्राइ सोलर एलएलपी
60	मेसर्स सूर्यकमल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
61	मेसर्स वॉल्ट टेक्निक्स
62	मेसर्स यूनिक्स सन पावर एलएलपी
63	मैग्लेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
64	मेहर सोलर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
65	एमएस. रिन्यूसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
66	मुंद्रा सोलर एनर्जी लिमिटेड
67	मुंद्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड
68	मुंद्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद
69	नेविटस अल्फा रिन्यूवेबल प्राइवेट लिमिटेड
70	नेविटस ग्रीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
71	नीटी यूरो एशिया सोलर एनर्जी
72	नीटी यूरो एशिया सोलर ऊर्जा

क्र. सं.	आयातकों के नाम
73	नियोसोल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
74	नोवासिस ग्रीनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
75	नोवस ग्रीन एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड
76	ओर्ब एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
77	पहल सोलर
78	पतंजलि रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
79	पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड
80	परफेक्टएनर्जी सी
81	पिक्सन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
82	प्लाजा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सी
83	प्रीमियर एनर्जीज़ लिमिटेड
84	प्रीमियर एनर्जीज़ फोटोवोल्टिक प्राइवेट लिमिटेड
85	प्रीमियर सोलर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
86	पीवी पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
87	रेडिकल सोलर प्राइवेट लिमिटेड
88	रेयॉन ग्रीन एनर्जी
89	रेज़ॉन ग्रीन एनर्जीज़
90	रेड्रेन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
91	रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखंड वन) प्राइवेट लिमिटेड
92	रिन्यू सोलर एनर्जी झारखंड वन प्राइवेट लिमिटेड
93	रिन्यूवेबल एंड एनर्जी कंसरवेटिवो
94	रिन्यूसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
95	रितिका सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड
96	आरआरजी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
97	सात्विक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
98	सेल सोलर एमएफजी प्राइवेट लिमिटेड
99	सहज सोलर प्राइवेट लिमिटेड
100	सैनेलाइट सोलर प्राइवेट लिमिटेड
101	शिवालिक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
102	सीरियस सोलर एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
103	सोलारियम ग्रीन एनर्जी एलएलपी
104	सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड
105	सोवा सोलर लिमिटेड
106	स्पार्क सोलर टेक्नोलॉजीज एलएलपी
107	स्पार्क सोलर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

क्र. सं.	आयातकों के नाम
108	श्री सवित्र सोलर प्राइवेट लिमिटेड
109	सन एन सैंड एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
110	सनफ्यूल टेक्नोलॉजीज एलएलपी
111	सनलॉग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
112	सुराणा सोलर लिमिटेड
113	स्वलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड
114	टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड
115	टॉपसन एनर्जी लिमिटेड
116	टोरियोस सोलर
117	उदय एनर्जी फोटोवोल्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
118	उज्ज्वल सोलर पावर
119	वेदांश इन्फ्रा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
120	विक्रम सोलर लिमिटेड
121	विक्रम सोलर लिमिटेड कोलकाता
122	विक्रम सोलर प्राइवेट लिमिटेड
123	विशाखा सोलर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद
124	वारी एनर्जीज लिमिटेड
125	वारी एनर्जी लिमिटेड मुंबई
126	वारी रिन्यूवेबल प्राइवेट लिमिटेड
127	वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड
128	ज़ॉजे सोलर एलएलपी

- ix. इस मामले में किसी भी आयातक / प्रयोक्तता / प्रयोक्ता एसोसिएशन ने प्रश्नावली का अपना उत्तर नहीं दिया है। केवल वारी एनर्जीज लिमिटेड ने सुनवाई पश्चात अनुरोध / अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।
- x. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से नियम 6(7) के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को अन्य हितबद्ध पक्षकारों से शेयर करने का अनुरोध किया। हितबद्ध पक्षकारों की सूची निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी।
- xi. प्राधिकारी ने अनुबंध-III में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार संभव सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की है ताकि भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और क्षतिरहित कीमत ज्ञात की जा सके ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त है।
- xii. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 (12 माह) की है। तथापि, क्षति जांच अवधि में पूर्ववर्ती तीन वर्षों अप्रैल 2019 - मार्च 2020, अप्रैल 2020 - मार्च 2021, अप्रैल 2021 - मार्च 2022 और पीओआई की अवधि के आंकड़े शामिल होंगे।
- xiii. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत इन आंकड़ों का जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।
- xiv. क्षतिरहित कीमत को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत के

आधार पर निर्धारित करना होता है ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

- xv. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीसीआई एंड एस) से भारत में विचाराधीन उत्पाद की मात्रा और मूल्य निर्धारित करने के लिए सौदावार आंकड़े मंगाए गए थे और उन पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।
- xvi. प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से संगत सूचना देने का अवसर प्रदान करने के लिए 16 नवंबर, 2023 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की थी। मौखिक सुनवाई के समय मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों खंडन अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। उनमें दिए गए अनुरोधों पर विधिवत रूप से विचार और उचित ढंग से समाधान किया गया है।
- xvii. इस जांच में आवश्यक तथ्यों वाला एक प्रकटीकरण बयान जो वर्तमान अंतिम निष्कर्ष का आधार बनता है, 21 दिसंबर 2023 को इच्छुक पक्षों को जारी किया गया था। इस अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षों से प्राप्त पोस्ट प्रकटीकरण बयान प्रस्तुतियों पर उस सीमा तक विचार किया गया है, जहां तक उन्हें प्रासंगिक पाया गया है।
- xviii. निर्यातक, उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही इस जांच से संगत सूचना प्रस्तुत की है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- xix. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अंतर्गत गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- xx. पीओआई में संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 81.15 रूपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में यथा परिभाषित के समान है, जो निम्नानुसार है :

"सोलर माड्यूल के लिए एथिलीन विनाइल एसिटेट (ईवीए) शीट" । यह सोलर पीवी (फोटो वोल्टेक) माड्यूल के विनिर्माण में प्रयुक्त पॉलिमर आधारित घटक है। ईवीए शीट का प्रयोग एधेशन और कुशनिंग कार्यों के निष्पादन हेतु सौर पीवी सेलों के एनकेप्सुलेशन के लिए किया जाता है। यह एक सर्वाधिक अनिवार्य घटक है जो ग्लास, सेल और बैकशीट को जोड़े रखता है और उसके प्रयोग काल के दौरान माड्यूल को यांत्रिक रूप से सहारा देता है"।

11. ईवीए शीट एक्सट्रूजन तकनीक के प्रयोग से निर्मित प्लास्टिक शीट और फिल्मों की श्रेणी में आती है। यह एक पॉलीएथिलीन का कोपॉलीमर थर्मोप्लास्टिक मैटीरियल है जिसे मुख्यतः ट्यूबलर या ऑटो फ्लेव प्रक्रिया के प्रयोग से पॉलीमराइज किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद को एच एस कोड 3920 1011, 3920 1019, 3920 1099, 3920 6190, 3920 6290, 3920 9919, 3920 9939, 3920 9999 , 3920 9099 के अंतर्गत आयातित किया जाता है। एचएस कोड केवल सांकेतिक हैं और सभी स्थितियों में उत्पाद का विवरण लागू होगा।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

12. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के निर्धारण के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई संगत अनुरोध नहीं किया है।

ग.3 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:


- क. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है। इसलिए विचाराधीन उत्पाद पहले से की गई जांच में यथा परिभाषित के समान रहेगा।

- ख. यह स्थापित कानून है कि विचाराधीन उत्पाद को सामान्यतः निर्णायक समीक्षा जांच में बदला नहीं जा सकता है।
- ग. रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जो घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों के किसी गुणवत्ता संबंधी मुद्दे की ओर संकेत भी करता हो।
- घ. कानून और डब्ल्यूटीओ के पूर्व निर्णयों के स्थापित प्रावधानों के अनुसार कोई तर्क देने वाले पक्षकार के ऊपर इस प्रकार रखे गए तर्क को सही सिद्ध करने का प्रमाण देने का दायित्व होता है। तथापि, आयातक विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अपनी दलील को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य देने में पूरी तरह विफल रहा है।
- ड. घरेलू उद्योग के अनुसार उनके द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग उत्पाद विनिर्दिशन, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:

"सोलर माड्यूल के लिए एथिलीन विनाइल एसिटेट (ईवीए) शीट"। यह सोलर पीवी (फोटो वोल्टेक) माड्यूल के विनिर्माण में प्रयुक्त पॉलिमर आधारित घटक है। ईवीए शीट का प्रयोग एधेशन और कुशनिंग कार्यों के निष्पादन हेतु सौर पीवी सेलों के एनकेप्सुलेशन के लिए किया जाता है। यह एक सर्वाधिक अनिवार्य घटक है जो ग्लास, सेल और बैकशीट को जोड़े रखता है और उसके प्रयोग काल के दौरान माड्यूल को यांत्रिक रूप से सहारा देता है।"



15. ईवीए शीट एक्सट्रूजन तकनीक के प्रयोग से निर्मित प्लास्टिक शीट और फिल्मों की श्रेणी में आती है। यह एक पॉलीएथिलीन का कोपॉलीमर थर्मोप्लास्टिक मैटीरियल है जिसे मुख्यतः ट्यूबलर या ऑटो फ्लेव प्रक्रिया के प्रयोग से पॉलीमराइज किया जाता है। संबद्ध वस्तु को सोलर फोटोवोल्टिक पैनल और सोलर थर्मल अनुप्रयोग में घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद को एच एस कोड 3920 1011, 3920 1019, 3920 1099, 3920 6190, 3920 6290, 3920 9919, 3920 9939, 3920 9999, 3920 9099 के अंतर्गत आयातित किया जाता है। एचएस कोड केवल सांकेतिक हैं और सभी स्थितियों में उत्पाद का विवरण लागू होगा।
16. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

17. अतः रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी मूल जांच और जांच शुरूआत अधिसूचना में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद की पुष्टि करते हैं। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद आयातित संबद्ध उत्पाद से भौतिक विशेषताओं, उत्पादन प्रौद्योगिकी और विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्दिशन, वितरण और विपणन की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
18. प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विर्मित उत्पाद और संबद्ध देश से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

19. उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
- घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक की स्थिति अपने आप में ही गलत है और वर्तमान जांच की शुरूआत पर्याप्त सत्यापन के बिना करना कानून के अनुसार गलत है।
 - अन्य उत्पादकों के लिए प्रदत्त क्षमता और उत्पादन के आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अत्यधिक उच्च उत्पादन और क्षमता के साथ विशेष रूप से पीओआई और हाल के वर्षों में अन्य घरेलू उत्पादक भारत में कुल उत्पादन के बड़े हिस्से का उत्पादन करते हैं। तथापि, आवेदक द्वारा केवल ऐसे आवेदक को घरेलू उद्योग के रूप में शामिल करने और चुने गए रूप से उसकी क्षमता और उत्पादन की सूचना देना प्रतीत होता है जिसमें अन्य उत्पादक शामिल नहीं हैं। अतः माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जाना चाहिए और इससे यह निष्कर्ष निकलने की संभावना है कि आवेदकों के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 25 प्रतिशत से कम हिस्सा है और वे भारत में घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा नहीं बनाते हैं। यह साफ तौर पर सिद्ध करता है कि आवेदक का दावा त्रुटिपूर्ण, गुमराह करने वाला और गलत है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

20. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का आवेदन मेसर्स रिन्यूसिस रिन्यूवेबल प्रा. लिमिटेड द्वारा दायर किया है और मेसर्स विशाखा रिन्यूवेबल प्रा. लिमिटेड, नेविटास अल्फा रिन्यूवेबल प्रा. लिमिटेड, अलीशान ग्रीम एनर्जी प्रा. लिमिटेड, एनरलाइट सोलर फिल्मस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिल्मटेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड, पिक्सनग्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, और ईसीएपी ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड समर्थित है।
 - आवेदक का उत्पादन नियमावली के अनुसार कुल भारतीय उत्पादन का “प्रमुख हिस्सा” बनता है। इसके अलावा, आवेदक और समर्थकों के उत्पादन का कुल भारतीय उत्पादन में अधिकांश हिस्सा बनता है।
 - आवेदक ने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। आवेदक संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) नहीं है। इस प्रकार आवेदक एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग है।
 - नियम 5(3) में दी गई स्थिति संबंधी अपेक्षा निर्णायक समीक्षा कार्रवाई में लागू भी नहीं होती है। नियम 5 निर्णायक समीक्षा कार्रवाई में लागू नहीं होता है। प्राधिकारी का ध्यान नियम 23(3) की ओर दिलाया जाता है जिसमें निम्नानुसार व्यवस्था है:
“(3) नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, और 20 के प्रावधान इस समीक्षा के मामले में आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे।”
 - रूस, वाणिज्यिक वाहन और ईसी – फास्टनर्स (चीन) मामले में डब्ल्यूटीओ निष्कर्षों के संबंध में आयातक द्वारा किये गये भरोसे में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में किसी घरेलू उत्पादक को बाहर नहीं रखा गया है। उन मामलों से अलग जिनमें एक विशेष घरेलू उत्पादक को जांच से बाहर किया गया

था, वर्तमान मामले में सभी घरेलू उत्पादकों के संगत और आवश्यक आंकड़ों को रिकार्ड में लिया गया है। वास्तव में स्थिति की गणना के लिए आवेदन में प्रयुक्त उत्पादन के आंकड़े ऐसे घरेलू उत्पादकों के समर्थन पत्रों से लिए गए हैं। ऐसी स्थिति में घरेलू उत्पादकों के उत्पादन आंकड़ों और आवेदक की स्थिति के सही होने के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. एडी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ‘घरेलू उद्योग’ शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

22. वर्तमान मामले में आवेदन मेसर्स रिन्यूसिस रिन्यूएबल प्रा. लिमिटेड द्वारा दायर किया है और मेसर्स विशाखा रिन्यूवेबल प्रा. लिमिटेड, नेविटस अल्फा रिन्यूवेबल प्रा. लिमिटेड, अलीशान ग्रीम एनर्जी प्रा. लिमिटेड, एनरलाइट सोलर फिल्मस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिल्मटेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड, पिक्सनग्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, और ईसीएपी ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड समर्थित है।

23. आवेदक के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने स्थिति को प्रभावित करने के लिए चुनिंदा रूप से क्षमता और उत्पादन के आंकड़े सूचित किए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुल भारतीय उत्पादन को समर्थकों द्वारा उनके समर्थन पत्र में यथा सूचित उत्पादन पर विचार करते हुए परिकलित किया गया है और अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन से अनुमानित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग की स्थिति पर विवाद करने के लिए कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

24. रिकार्ड में साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का उत्पादन भारतीय उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत है। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है और नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

25. गोपनीयता के संबंध में वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए विभिन्न अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- यह याचिका अत्यधिक गोपनीयता से ग्रस्त है। याचिका में मात्रा से संबंधित सूचना के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है।
- घरेलू उद्योग ने इस समझ से यह दावा किया है और उसे अत्यधिक गोपनीयता की अनुमति दी गई है कि उन्होंने सार्वजनिक फाइल में अपनी वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया है।
- घरेलू उद्योग ने अपनी लागत निर्धारण की पर्याप्त सूचना भी नहीं दी है।
- आवेदक मूल जांच में अपनाए गए प्रकटन के मानकों की तुलना करने पर गोपनीयता के दावों के संबंध में संगत नहीं रहा है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

26. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- याचिकाकर्ता ने केवल ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है जिसकी गोपनीयता की अनुमति नियमावली द्वारा और प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार दी है।
- याचिकाकर्ता ने आवेदन का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान किया है। कोई भी हितबद्ध पक्षकार ऐसी किसी सूचना का विशिष्ट मुद्दा उठाने में समर्थ नहीं है जिसके गोपनीय होने का दावा किया गया है और जिसकी गोपनीयता नियमावली के अंतर्गत न्यायोचित नहीं है।

- iii. विरोधी पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा किसी वास्तविक त्रुटि की बात तो क्या कानून / व्यापार सूचना से विचलन का कोई एक उदाहरण देने में भी समर्थ नहीं है।
- iv. वर्तमान मामले में निर्यातक ने व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुसार प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। व्यापार सूचना में अपेक्षित अधिकांश जानकारी या तो निर्यातक द्वारा नहीं दी गई है या वह व्यापार सूचना के अनुसार नहीं है।
- v. यह कि प्रतिवादी, निर्यातक प्रश्नावली का अपना उत्तर का सार्थक सारांश नहीं देकर भारतीय कानून के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है। यह भी अनुरोध है कि उन्होंने मात्रा से संबंधित समस्त जानकारी को गोपनीय रखा है। इसके अलावा, उत्तर निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों के अगोपनीय अंश दायर करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों का घोर उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने भी माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की अनदेखी करने और निर्यातक के उत्तर को अस्वीकार करने तथा उन्हें अलग व्यवहार से वंचित करने का अनुरोध किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

27. प्राधिकारी ने नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों से उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर करने का अनुरोध किया था।
28. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"गोपनीय सूचना"

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

29. विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी करार में गोपनीय सूचना के बारे में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

"अनुच्छेद - 6.5: ऐसी सूचना जो गोपनीय प्रकृति की है (उदाहरणार्थ क्योंकि उसके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा अथवा उसके प्रकटन से उक्त सूचना प्रदाता किसी व्यक्ति पर अथवा जिस व्यक्ति से उक्त सूचना प्राप्त की गई है, उस व्यक्ति पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा) अथवा जिसे किसी जांच हेतु पक्षकारों ने गोपनीय आधार पर प्रदान किया है, उस सूचना को बेहतर कारण दर्शाए जाने पर प्राधिकारियों द्वारा गोपनीय ही माना जाएगा। ऐसी सूचना का प्रकटन सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद - 6.5.1: प्राधिकारी गोपनीय सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेंगे। ये सारांश यथोचित विस्तार में होंगे ताकि गोपनीय रूप में प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। आपवादित परिस्थितियों में ऐसे पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार नहीं किया जा सकता। ऐसी आपवादिक

परिस्थितियों में ऐसे कारणों का विवरण दिया जाना चाहिए कि इसका सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है।

अनुच्छेद-6.5.2: यदि प्राधिकारी यह पाते हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता या तो सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसके प्रकटन का प्राधिकार प्रदान करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं बशर्ते उचित स्रोतों से उनकी संतुष्टि होने के उपरांत यह प्रदर्शित हो सके कि उक्त सूचना सही है।

अनुच्छेद-6.5.2 की पाद टिप्पणी (विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी करार की पाद टिप्पणी 18) में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि गोपनीयता के अनुरोधों को मनमाने ढंग से अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।"

30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से गोपनीय आधार प्रस्तुत सूचना के पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों / सूचना / अनुरोधों का अगोपनीय अंश सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया था।

च. विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- यह कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से नहीं है। इसके अलावा प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.3 के अनुसार याचिका का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया है और इसलिए जांच समाप्त की जानी चाहिए।
- समर्थक कंपनियां व्यापार सूचना सं. 13/2018 और 14/2018 के अनुसार पात्र समर्थक नहीं हैं क्योंकि उन्होंने उक्त सूचना के अंतर्गत यथा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।
- वर्तमान परिदृश्य में स्थिर आधार पर शुल्क लगाना न केवल अनुचित है, बल्कि गलत और अनावश्यक रूप से बोझ डालने वाला है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि घरेलू उद्योग देश में मांग को पूरा नहीं कर सकता है और डाउनस्ट्रीम विनिर्माताओं के लिए उत्पाद की मांग को पूरा करने में असमर्थ है जो बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। क्षति यदि कोई हो, तो वह घरेलू उद्योग की क्षमता की सीमा तक सीमित है और एक नियत शुल्क के प्रभाव में ऐसी आयात मात्राएं जो घरेलू उद्योग की क्षमता से अधिक हैं वह उत्पाद पर अनुचित रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाती हैं जो घरेलू उद्योग से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं और इससे घरेलू उद्योग को मनमाना और अनुचित संरक्षण प्राप्त होता है।
- यह कि याचिका के वर्णनात्मक हिस्से में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त कतिपय सूचना याचिका के साथ प्रपत्र IVक में संलग्न है। इसके अलावा हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी से संख्या की पुनः जांच करने और घरेलू उद्योग को सही संख्या प्रस्तुत करने हेतु बुलाने का अनुरोध किया है।
- घरेलू उद्योग प्रयोक्ता उद्योग के मात्रात्मक और गुणात्मक मानदंडों का कड़ाई से पालन करने में असमर्थ है और इसलिए प्रयोक्ता ऐसे विशिष्ट ग्रेडों का आयात करने के लिए मजबूर है जो घरेलू उद्योग द्वारा पर्याप्त रूप से आपूर्ति नहीं किए जाते हैं।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

32. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- घरेलू उद्योग ने केवल एक पक्षकार अर्थात् मेसर्स चांगझोऊ स्वेक फोटोवोल्टिक न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त किया है। ऐसा प्राधिकारी के दिनांक 15.11.2023 के ई-मेल

के जरिए जारी निर्देश के बावजूद हुआ है जिसमें उन्होंने हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग के साथ अपने अनुरोधों/उत्तरों को शेयर करने का निदेश दिया था। हितबद्ध पक्षकारों से किसी उत्तर के अभाव में घरेलू उद्योग यह मानता है कि किसी अन्य पक्षकार ने अनुरोध / उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। किसी ऐसे अनुरोध / उत्तर के प्राप्त नहीं होने पर उसे रिकार्ड में नहीं लिया जाता है क्योंकि उन्होंने विहित प्रक्रिया के अनुसार घरेलू उद्योग के साथ उसे शेयर नहीं किया है।

- ii. एक मात्र भागीदार आयात मेसर्स वारी एनर्जीज लिमिटेड ने प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। हमारे द्वारा दिनांक 16.11.2023 को सुनवाई के दौरान की गई प्रारंभिक आपत्ति के बाद उक्त आयातक ने यह बताया था कि वे कंपनी की कतिपय जरूरी चिंताओं के कारण प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा, उक्त आयातक का आचरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे न तो जांच प्रक्रिया के बारे में गंभीर हैं और न ही नियमावली और प्राधिकारी द्वारा विहित प्रक्रियाओं की सत्यता के बारे में गंभीर हैं।
- iii. आयातक ने प्राधिकारी द्वारा दी गई समय-सीमा के बाद अपने लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। यह बात भी जांच प्रक्रिया या डीजीटीआर के पद के सम्मान के बारे में उनके कम आदर को दर्शाती है।
- iv. शुल्क के रूप में परिवर्तन के बारे में आयातक द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में घरेलू उद्योग ने बताया है कि ऐसे अनुरोध के लिए आयातक द्वारा दिया गया एक मात्र कारण देश में मांग – आपूर्ति में कथित अंतर है। तथापि, रिकार्ड में तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि देश में मांग – आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में घरेलू उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताएं देश में संबद्ध वस्तु की मांग से अधिक हैं। किसी भी तरह आयातक ने यह नहीं बताया है कि उन्होंने मांग – आपूर्ति में अंतर को शुल्क की पद्धति में परिवर्तन की मांग करने का आधार कैसे मान लिया।
- v. यह कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन पूर्णतः अधिनियम और नियमावली के अनुसार है और विहित प्रपत्र के अनुसार भी है। अतः हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुरोध कि आवेदन प्रपत्र के अनुसार नहीं है, अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

33. जांच के दौरान प्रश्नावली का उत्तर नहीं देने और समय-सीमा के भीतर लिखित / कानूनी अनुरोध भी प्रस्तुत नहीं करने के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातक द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, आयातक द्वारा प्रस्तुत कानूनी अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है।
34. इस अनुरोध के संबंध में की समर्थकों ने व्यापार सूचना सं. 13/2018 और 14/2018 के अनुसार सूचना नहीं दी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि समर्थकों ने व्यापार सूचना सं. 04.2021 दिनांक 16.04.2021, जो समर्थकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित अनिवार्य सूचना दर्शाती है, में सूचना प्रस्तुत की है। इस प्रकार समर्थकों द्वारा प्रस्तुत सूचना प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचना के अनुसार है और स्वीकार करने योग्य है।
35. प्रतिवादी पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि याचिका अधूरी है और इसलिए जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध दर्शाने वाले प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर अधिनियम और नियमावली के अनुसार शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने जहां जरूरी हो, अतिरिक्त सूचना भी मांगी थी और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया था।
36. इस मुद्दे के संबंध में कि देश में मांग – आपूर्ति में अंतर है। प्राधिकारी रिकार्ड के साक्ष्यों से नोट करते हैं कि देश में संबद्ध वस्तु की वर्तमान क्षमताएं संबद्ध वस्तु की मांग से काफी अधिक हैं। इस प्रकार इस संबंध में दी गई दलीलें रिकार्ड के तथ्यों के विपरीत हैं।
37. नियत शुल्क से संदर्भ कीमत आधारित शुल्क में शुल्क के रूप में बदलाव संबंधी आयातक के अनुरोध के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त आयातक ने देश में मांग – आपूर्ति में अंतर के अपने दावे के अलावा ऐसे अनुरोध के लिए कोई स्वीकार्य कारण नहीं बताया है। जैसा ऊपर नोट किया गया है। संबद्ध वस्तु की मांग – आपूर्ति के बीच देश में कोई अंतर नहीं है।

38. आयातक के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग विशिष्ट ग्रेडों की गुणात्मक मापदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा है जिससे ऐसे ग्रेडों का आयातकों को आयात करना पड़ रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातक ने किसी साक्ष्य के साथ इस अनुरोध को सही सिद्ध नहीं किया है। आयातक द्वारा केवल साधारण विवरण दिए गए हैं और कथित विशिष्ट ग्रेडों के ऐसे ब्यौरे भी दिए गए हैं जिन्हें घरेलू उद्योग कथित रूप से आपूर्ति नहीं कर पा रहा है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1 सामान्य मूल्य

39. अधिनियम की धारा 9(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

"(ग) किसी अनुच्छेद के संबंध में "सामान्य मूल्य" का अर्थ है -

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

40. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) मानना लागू कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं है।

ख. चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15 में संगत प्रावधान जिनमें चीन जन. गण. को एनएमई मानने की अनुमति थी, 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं। अतः अब ऐसा कोई प्रावधान प्रचलित नहीं है जो प्राधिकारी को किसी जांच में चीन जन. गण. को एनएमई मानने की अनुमति देता हो।

ग. यदि प्राधिकारी यह निर्धारित भी करते हैं कि चीन जन. गण. इस जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था है तो भी प्राधिकारी नियमावली के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 7 में तीसरी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य सीधे परिकलित नहीं कर सकते हैं। (अर्थात् कोई अन्य तर्कसंगत आधार)

घ. प्राधिकारी को पहले निम्न के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए; (i) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य, या (ii) ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत। केवल यदि इन दो पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं होने पर उसे किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

ड. शेनयांग मत्सुशिता, 2005 (181) ईएलटी 320 (एससी) के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी इस इस विचार का समर्थन करता है कि प्राधिकारी को केवल तभी किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए। यदि उन्होंने पहले दो पद्धतियों का प्रयोग कर लिया है।

- च. याचिका में इसका कोई कारण नहीं बताया गया है कि प्राधिकारी क्यों पहले दो पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित नहीं कर सकते हैं।
- छ. सामान्य मूल्य के परिकलन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा सूचना को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है और इसलिए प्रतिवादियों के लिए इस संबंध में किसी दावे का उत्तर देना संभव नहीं है।
- ज. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए डंपिंग मार्जिन पर प्राधिकरण से किसी भी सत्यापन के बिना भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

छ.3 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

41. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किए गए हैं:
- क. चीन जन. गण. को चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अनुसार एनएमई माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1, नियम 7 के अनुसार निर्धारित होना चाहिए।
- ख. नियमावली के अनुबंध 1 का पैराग्राफ 8 प्राधिकारी के लिए यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ता है कि चीन एनएमई है। बशर्ते कि निर्यातक अन्यथा सिद्ध न कर दें। अतः चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(ii) के समाप्त होने पर ध्यान नहीं देते हुए प्राधिकारी पैराग्राफ 8 के अनुसार चीन को एक एनएमई मानने के लिए बाध्य है।
- ग. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा धारा 15(क)(i) की समाप्ति पर स्वतः नहीं मिलता है बल्कि इसके लिए चीन को एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15 के अन्य प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित होगा।
- घ. निर्यातकों का बाजार अर्थव्यवस्था का दावा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार का हस्तक्षेप है जो चीन जन. गण. के गैर बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को बनाए रखने को आवश्यक बनाता है।
- ङ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी चीन के निर्यातक नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रत्येक मापदंड के संबंध में कसौटी को पूरा करें।
- च. चीन जन. गण. से उत्पादकों के बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को हाल की अनेक जांचों में इसी आधार पर अस्वीकार किया गया था।
- छ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध न करें कि प्रमुख निविष्टियों की वास्तविक खरीद कीमत बाजार मूल्यों को पर्याप्त रूप से दर्शाती है।
- ज. बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार तब अस्वीकृत किया जाना चाहिए यदि चीन के निर्यातक यह सिद्ध करने में असमर्थ हों कि उनका बही खाता अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों से सुसंगत है।
- झ. प्राधिकारी को यह सिद्ध नहीं करना है कि प्रतिवादी कंपनियां बाजार अर्थव्यवस्था माहौल में प्रचालन कर रही हैं। बल्कि चीन के प्रतिवादी निर्यातकों को यह सिद्ध करना है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं प्रचालन कर रहे हैं।
- ञ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी कंपनी या समग्र रूप से उसका समूह ऐसा दावा न करे। यदि समूह का हिस्सा बनने वाली एक या उससे अधिक कंपनी ने उत्तर नहीं दिया है तो बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे को अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- ट. इस प्रकार चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य को डीजीटीआर की संगत प्रक्रिया के अनुसार भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

छ.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

42. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थी जिनमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा विहित और ढंग तरीके से सूचना देने की सलाह दी गई थी। केवल निम्नलिखित उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

- i. चांगझोऊ स्वेक फोटोवोल्टिक न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड

छ.4.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

छ.4.1.2 बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की जांच

43. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थी जिनमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा विहित और ढंग तरीके से सूचना देने की सलाह दी गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था का दावा करने के लिए संगत प्रश्नावली में उत्तर नहीं दिया है।

छ.4.1.3 चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

44. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

45. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) तथा अनुबंध 1 के पैरा 7 पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. में उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। आवेदक ने यह बताया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ हों कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।
46. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि क्योंकि चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 7 के प्रावधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।
47. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों / सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है। इसलिए सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना अपेक्षित है, जिसका पाठ निम्नानुसार है:—
- “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”*
48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध 1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य मूल्य को किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य, या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाए। तथापि, जब ऐसा आधार संभव न हो केवल तभी प्राधिकारी भारत में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।
49. नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार प्राधिकारी पहली पद्धति अर्थात् तीसरे देश कीमत या परिकलित मूल्य और दूसरी पद्धति अर्थात् तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत का प्रयोग कर लेने पर किसी तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की तीसरी पद्धति की ओर जा सकते हैं। तथापि यह नोट किया गया है कि पहली दो पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए पक्षकारों द्वारा कोई सूचना / साक्ष्य नहीं दिया गया है। उक्त सूचना / साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी के लिए पहली या दूसरी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। अतः प्राधिकारी ने तीसरी पद्धति अर्थात् भारत में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन का निर्णय लिया है।
50. इस प्रकार सामान्य मूल्य पर भारत में प्रदत्त या देय कीमत को भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ जोड़ने के बाद लाभ शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर विचार किया गया है। इस प्रकार प्राधिकारी ने प्रमुख कच्ची सामग्रियों की

कीमतों और भारत में प्रदत्त लागतों पर विचार करते हुए ईष्टतम उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य को परिकल्पित किया है।

छ.4.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

छ.4.2.1 सहयोगी निर्यातक/उत्पादक के लिए निर्यात कीमत

मेसर्स चांगझोऊ स्वेक फोटोवोल्टिक न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड

51. मेसर्स चांगझोऊ स्वेक फोटोवोल्टिक न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड ("स्वेक") चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। स्वेक ने भारत में असंबंधित उपभोक्ता को सीधे संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।
52. यह नोट किया जाता है कि पीओआई के दौरान स्वेक ने भारत में असंबंधित उपभोक्ता को सीधे *** एमटी पीयूसी का निर्यात किया है। स्वेक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय और ऋण लागत के लिए समयोजन का दावा किया है जिनकी आवश्यक सत्यापन के बाद प्राधिकारी ने अनुमति दी है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने बैंक प्रभागों के लिए भी समुचित समायोजन किए हैं। तदनुसार, कारखानाद्वारा स्तर पर संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत ज्ञात की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

छ.4.2.2 चीन जन. गण. से असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

53. सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ज्ञात की गई है।

छ.4.3 पाटन मार्जिन का निर्धारण

54. संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

पाटन मार्जिन सारणी

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	मुद्रा/यूनिट	सीएनवी	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
1.	चांगझोऊ स्वेक फोटोवोल्टिक न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड	यूएसडी/एमटी	***	***	***	***%	0-10
2.	असहयोगी/अवशिष्ट निर्यातक	यूएसडी/एमटी	***	***	***	***%	20-30

55. चीन जन. गण. से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

56. अनुबंध-2 के साथ पठित नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में " पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. "... ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।
57. नियमावली के नियम 23 में प्रावधान है कि नियम 6,7,8,9,10,11,16,18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ किसी समीक्षा के मामले में लागू होंगे। प्राधिकारी ने इस जांच में ऐसे क्षति मापदंडों का

मूल्यांकन किया है जो नियम 11 और नियमावली के अनुबंध II के अंतर्गत अपेक्षित है और यह भी जांच की है कि क्या शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

58. घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. चीन जन. गण. से आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा, पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति कोविड-19 और अन्य कारकों की वजह से हुई है और संबद्ध देश से आयातों के कारण नहीं हुई है।
- ii. यह कि घरेलू उद्योग यह दर्शाने में विफल रहा है कि उन्हें कीमत या मात्रा की दृष्टि से क्षति हो रही है। यह भी अनुरोध किया गया है कि मात्रा और कीमत संबंधी मापदंडों में क्षति जांच अवधि के दौरान सुधार हुआ है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अच्छी स्थिति में है और संबद्ध देश से आयातों के कारण कोई ऋणात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।
- iii. यह कि प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति केवल आयातों के कारण हुई थी या वह संबद्ध देश से आयातों से अलग अन्य कारणों की वजह से हुई थी। यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि क्षति अन्य कारकों की वजह से हुई थी तो प्राधिकारी से अनुरोध है कि वर्तमान समीक्षा समाप्त की जाए।
- iv. कीमत कटौती संबद्ध देश से आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तथापि, वह क्षति के निर्धारण का आधार नहीं है और उसे अलग से देखा जाएगा। इसे घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन के आलोक में देखना होगा। चाहे उसके परिणामस्वरूप घाटा हुआ हो।
- v. याचिकाकर्ता की लाभप्रदता में आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में जांच अवधि के दौरान सुधार हुआ है। यह नोट किया जाए कि 2020-21 और 2021-22 की अवधि कोविड द्वारा प्रभावित असामान्य अवधि थी। अतः याचिकाकर्ता के असामान्य निष्पादन पर उस अवधि के दौरान विचार नहीं किया जाना चाहिए। तुलना आधार वर्ष 2019-20 के लिए की जानी चाहिए जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- vi. यह कि यदि घरेलू उद्योग को क्षति (यदि को हो) हो रही है तो वह अन्य कारकों जैसे मांग में संकुचन, घरेलू उद्योग के निर्यातों में गिरावट की वजह से हुई है और चीन के निर्यातकों के लिए दोष नहीं दिया जा सकता है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

59. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोधों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

- क. यह कि चीन से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत की तुलना में काफी कम है।
- ख. सकारात्मक कीमत कटौती स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल कीमत दबाव को दर्शाती है।
- ग. चीन जन. गण. से आयातों का कुल मांग में हिस्सा काफी अधिक बढ़ गया है। पाटित आयातों के कारण चीन ने घरेलू उत्पादकों के पास अप्रयुक्त क्षमताओं के बावजूद मांग में काफी अधिक बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया है।
- घ. यह कि पाटन मार्जिन रिकार्ड के आंकड़ों के अनुसार काफी अधिक सकारात्मक है और इसलिए पाटन के और अधिक बढ़ने की स्पष्ट संभावना है और पाटनरोधी शुल्क को हटाने की स्थिति में चीन से भारत में संबद्ध वस्तु के आयात से पाटित आयातों में वृद्धि होने की संभावना है।
- ड. घरेलू उद्योग को अब भी संबद्ध देश से निर्यातकों से कम कीमत के आयातों के कारण घाटा हो रहा है। यह भी अनुरोध किया गया है कि कम कीमत के आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपने सर्वोत्तम प्रयासों के

बावजूद पूरी लागत को वसूल नहीं कर पा रहा है और संबद्ध देश से कम कीमत के आयातों ने घरेलू उद्योग पर भारी कीमत दबाव बना दिया है।

- च. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चूंकि मूल जांच में कारणात्मक संबंध पहले ही सिद्ध हो चुका है। प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।
- छ. प्राधिकारी रिकार्ड के आंकड़ों से समझ सकते हैं कि आयात पहले ही पाटित कीमतों पर आ रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। तथापि, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क घरेलू उत्पादकों को नुकसान उठाने से बचाने वाले एक सुरक्षा नेट के रूप में कार्य कर रहा है। यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो उससे घरेलू उत्पादकों को इतना अधिक वित्तीय घाटा हो जाएगा कि घरेलू उत्पादकों को अलाभकार आयातों के कारण अपनी दुकान बंद करने को बाध्य होना पड़ेगा।
- ज. यह स्थिति स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव को दर्शाती है जिसमें यदि वे संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं तो उनकी स्थिर लागतें काफी अधिक बढ़ जाएंगी और उनके घाटों में भी वृद्धि होगी।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

60. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच का प्रावधान है; (क) पाटित आयातों की मात्रा और पाटित आयातों का समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमत पर प्रभाव; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव।
61. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9(क)(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क यदि पहले न हटाया जाए तो उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा। बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार की एक समीक्षा में यह राय हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है तो वह समय-समय पर उसके लागू होने की अवधि को पांच वर्षों की आगामी अवधि या ऐसी आगामी अवधि तक बढ़ा सकती है जो ऐसे समय बढ़ाने के आदेश से शुरू होगी।
62. इस संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति, संबद्ध देश से आयात के कारण पाटन और क्षति की संभावना की जांच की कार्यवाही करने से पहले घरेलू उद्योग को क्षति, यदि को हो, के जारी रहने की जांच की है।
63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंडों में खराबी प्रदर्शित हो। कुछ मापदंडों में गिरावट आ सकती है जबकि कुछ अन्य में नहीं। प्राधिकारी ने सभी क्षति मापदंडों पर विचार किया है और उसके बाद यह निष्कर्ष है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने पर घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार करते हुए क्षति मापदंडों की जांच की है।
64. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा आगामी पैराओं में किए गए क्षति विश्लेषण से घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का वास्तव में समाधान होता है।

ज.3.1 घरेलू पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

65. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के आयात आंकड़ों से प्राप्त आंकड़ों पर भरोसा किया है।

क. मांग / स्पष्ट खपत का आकलन

66. मांग पर सभी घरेलू उत्पादकों की घरेलू विक्रियों और सभी देशों से आयातों के योग के रूप में विचार किया गया है। संबद्ध वस्तु की स्पष्ट मांग / खपत में पूरी क्षति अवधि में सकारात्मक रुझान रहा है जैसे नीचे तालिका से देखा जा सकता है।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संबद्ध देश से आयात (चीन जन. गण.)	एमटी	8,343	4,805	8,091	10,528
एडीडी के अधीन अन्य देशों से आयात	एमटी	417	479	1	-
अन्य देशों से आयात	एमटी	315	946	1,928	2,996
कुल आयात	एमटी	9,075	6,229	10,019	13,525
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
कुल भारतीय घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	149	192
मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	131	171
मांग में चीन से आयात	%	***%	***%	***%	***%

67. संबद्ध वस्तु की मांग में पूरी क्षति जांच अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, चीन से आयातों ने मांग में काफी हिस्से पर कब्जा जारी रखा है।

ख. संबद्ध देश से आयात मात्रा

68. चीन से पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच प्राधिकारी द्वारा नीचे तालिका में की गई है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
चीन से आयात	एमटी	8,343	4,805	8,091	10,528
अन्य देशों से आयात	एमटी	315	946	1,928	2,996
कुल आयात	एमटी	8,658	5,751	10,019	13,525
घरेलू बिक्रियां (आवेदक)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	110	127
घरेलू बिक्रियां (अन्य उत्पादक)	सूचीबद्ध	***	***	***	***
प्रवृत्ति	%	100	162	204	282
घरेलू बिक्रियां (कुल घरेलू उत्पादक)	एमटी	9,836	12,035	14,701	18,905
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	149	192
भारत में संबद्ध वस्तु की मांग	एमटी	18,494	17,786	24,720	32,430
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	134	175
कुल पीयूसी उत्पादन (आवेदक)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	113	126
उत्पादन - (अन्य उत्पादक)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	188	310
कुल घरेलू उत्पादन	एमटी	10,057	10,941	14,587	20,639
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	145	205
निम्न के संबंध में चीन से आयात					
कुल घरेलू उत्पादन	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	66	61
भारत में संबद्ध वस्तु की मांग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	73	71

69. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मात्रा में 2020-21 में गिरावट आई है, 2021-22 में वृद्धि हुई है और पीओआई में भारी वृद्धि हुई है। सापेक्ष रूप से आयातों की मात्रा में भी भारी वृद्धि हुई है। कुल भारतीय उत्पादन और मांग/खपत के संबंध में आयात मात्रा आधार वर्ष की तुलना में कम हो गई है लेकिन पर्याप्त स्तर पर बनी हुई है।

ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

70. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार प्राधिकारी के लिए कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण यदि कोई हो, के अनुसार घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करना अपेक्षित है।

क. कीमत कटौती

71. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में काफी अधिक कटौती करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती। इस संबंध में, चीन से उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत विक्री कीमत, सभी छूटों और करों के निवल की व्यापार के समान स्तर पर तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों पर कारखानाद्वारा स्तर पर विचार किया गया था।

विवरण	यूओएम	पीओआई
आयातों की पहुंच कीमत (चीन)	रू./एमटी	3,08,112
	(प्रवृत्ति)	179
घरेलू उद्योग की निवल विक्री कीमत	रू./एमटी	***
	(प्रवृत्ति)	186
कीमत कटौती (चीन)	रू./एमटी	***
	(प्रवृत्ति)	430
कीमत कटौती (चीन)	%	***%
	(प्रवृत्ति)	240
कीमत कटौती (चीन)	रेंज	0-10

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल विक्री प्राप्ति से काफी कम है।

ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

73. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात, घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में अत्यधिक कमी करना है और ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा बढ़ गई होती। प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान कीमत और पहुंच मूल्य में परिवर्तनों पर विचार किया है।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
विक्रियों की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	167	184
विक्री कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	199	186

संबद्ध देश से पहुंच मूल्य	रू./एमटी	1,71,830	2,69,966	3,29,499	3,08,112
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	157	192	179
संबद्ध देश से पहुंच मूल्य पाटनरोधी शुल्क के साथ	रू./एमटी	2,16,192	3,14,417	3,76,304	3,55,991

74. यह देखा जा सकता है कि 2020-23 और 2021-22 को छोड़कर चीन से पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य और लागत से कम है। चीन से आयातित वस्तुओं पहुंच मूल्य बिक्री मूल्य और पीओआई में घरेलू उद्योग की लागत से कम था। जबकि ऊपर गणना की गई पहुंच मूल्य लागू पाटनरोधी शुल्क को ध्यान में रखे बिना है, उपरोक्त जांच से इस संभावना का संकेत मिलता है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, घरेलू उद्योग घाटे की स्थिति में चला जाएगा।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

75. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। पाटनरोधी नियमावली में यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

76. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
क्षमता (आवेदक)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	118	186
उत्पादन – कुल (आवेदक)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	113	127
उत्पादन – पीयूसी (आवेदक)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	113	126
कुल उत्पादन के आधार पर क्षमता उपयोग	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	95	68
घरेलू बिक्रियां (आवेदक)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	110	127

77. घरेलू उद्योग की क्षमता में संबद्ध वस्तु के लिए देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग एक तर्कसंगत स्तर तक अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर सका। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में पूरी क्षति जांच अवधि में वृद्धि हुई है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार यद्यपि क्षति अवधि के दौरान समर्थकों ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है, परंतु उनका क्षमता उपयोग ईष्टतम से कम रहा है।

ख. बाजार हिस्सा

78. कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से के निम्नानुसार जांच की गई हैं:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	131	171
घरेलू विक्रियां (आवेदक)	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	84	74
घरेलू विक्रियां (अन्य उत्पादक)	सूचीबद्ध	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	%	100	168	156	165
घरेलू विक्रियां (कुल घरेलू उत्पादक)	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	114	112
चीन से आयात	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	74	74
अन्य देशों से आयात	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	201	201	239

79. उक्त से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में संपूर्ण जांच अवधि में गिरावट आई है। सभी भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में 2020-21 में वृद्धि हुई है परंतु इसके बाद पीओआई में मामूली गिरावट के साथ वृद्धि हुई है। चीन से आयातों का बाजार हिस्सा 2020-21 में घटा था परंतु उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ा था। उक्त से स्पष्ट है कि चीन से आयातों ने घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों के पास अप्रयुक्त क्षमताओं के उपलब्ध होने के बावजूद मांग में काफी बाजार हिस्सा बनाए रखना जारी रखा है।

80. इसके अलावा, जबकि अन्य उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, विभिन्न नए उत्पादकों द्वारा नई क्षमताओं और उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के कारण इसमें प्रमुख रूप से वृद्धि हुई है। रिकॉर्ड पर दी गई जानकारी से संकेत मिलता है कि क्षति की जांच अवधि में 7 नए उत्पादकों ने उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। प्राधिकारी ने नोट किया कि किसी भी नए उत्पादक के लिए उत्पादन शुरू होने के बाद कुछ बाजार हिस्सेदारी हासिल करना तर्कसंगत है। तथापि, यह भी नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान नए उत्पादकों की क्षमता उपयोग 20% पर बहुत कम रहता है।

ग. मालसूची

81. घरेलू उद्योग के पास मालसूची की निम्नानुसार जांच की गई है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	117	134

82. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की मालसूची के औसत स्तर में 2020-21 को छोड़कर संपूर्ण क्षति जांच अवधि में वृद्धि हुई है। चीन से बढ़े हुए आयातों ने घरेलू उद्योग की मालसूची को प्रभावित किया है।

घ. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

83. लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
विक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	110	127
बिक्री मूल्य (रू. लाख)	रू. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	219	235
बिक्री कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	199	186

लागत	रू. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	184	232
लागत	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	167	184
लाभ/हानि	रू. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	6,030	7,421	788
लाभ/हानि प्रति यूनिट	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	6,455	6,749	623
मूल्य ह्रास	रू. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	116	142
मूल्य ह्रास	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	106	112
नकद लाभ	रू. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	636	774	200
नकद लाभ	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	680	704	158
नियोजित पूंजी	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	136	190	164
आरओसीई	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	820	626	137

84. पूर्ववर्ती दो वर्षों की तुलना में पीओआई में घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और आरओसीई में काफी गिरावट आई है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

85. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और लाभपद्रता से संबंधित सूचना की निम्नानुसार जांच की है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	113	126
कर्मचारी	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	135	160
उत्पादन / दिन	एमटी/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	113	126
मजदूरी	रू. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	105	131
मजदूरी / कर्मचारी	रू./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	78	82

86. यह नोट किया गया है कि उत्पादकता में संपूर्ण क्षति जांच अवधि और पीओआई में वृद्धि हुई है। अतः यह घरेलू उद्योग को किसी क्षति का कारण नहीं हो सकता है। यह भी नोट किया गया है कि पीओआई में घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि क्षमता में वृद्धि और घरेलू बाजार में मांग में वृद्धि की संभावना पर विचार करते हुए इसमें वृद्धि हुई है।
87. घरेलू उद्योग की वृद्धि उत्पादन और बिक्री के संबंध में सकारात्मक नहीं है। तथापि, लाभप्रदता, बाजार हिस्सा, पीवीआईटी और आरओआई के संबंध में वृद्धि नकारात्मक रही है। घरेलू उद्योग की मालसूची में भी वृद्धि हुई है। बड़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

विवरण	2019-20	2020-21	पीओआई
उत्पादन (घरेलू उद्योग - आवेदक)	-***%	***%	***%
घरेलू बिक्रियां (घरेलू उद्योग - आवेदक)	-***%	***%	***%
लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	***%	***%	-***%
मालसूची	-***%	***%	***%
कुल मांग में डीआई (आवेदक) का बाजार हिस्सा	-***%	-***%	-***%
लाभ/(हानि) (रु. लाख में)	***%	***%	-***%
नकद लाभ (रु. लाख में)	***%	***%	-***%
नकद लाभ प्रति यूनिट	***%	***%	-***%
पीवीआईटी (रु. लाख में)	***%	***%	-***%
पीवीआईटी प्रति यूनिट	***%	***%	-***%
आरओआई %	***%	-***%	-***%

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

88. आवेदक ने दलील दी है कि लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट ने पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित किया है।

ज. क्षति मार्जिन

89. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी पर विचार किया है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी को घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना के लिए विचार किया गया है। एनआईपी के निर्धारण के लिए कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर क्षति अवधि में विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण या गैर आवर्ती व्ययों को अलग रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशाली पूंजी) पर नियमावली के अनुबंध-III में यथा विहित एनआईपी ज्ञात करने के लिए एक तर्कसंगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) के कर पूर्व लाभ की अनुमति दी गई थी और उसका पालन किया जा रहा है।
90. ऊपर विचार की गई पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्षति मार्जिन सारणी

उत्पादक/ निर्यातक	एनआईपी (यूएसडी/एमटी)	पहुंच कीमत (यूएसडी/एमटी)	क्षति मार्जिन (यूएसडी/एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	रेंज
चांगझाऊ स्वेक	***	***	***	***%	1-10

फोटोवोल्टिक न्यू मटेरियल कं., लिमिटेड					
अन्य सभी	***	***	***	***%	10-20

झ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

91. एडी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर किसी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है या क्षति होने की संभावना है ताकि इन अन्य ज्ञात कारकों से हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। यद्यपि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संबंध की पहले ही जांच की गई है फिर भी प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या क्षति होने की संभावना है। यह जांच की गई थी कि क्या एडी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है या क्षति होने की संभावना है।

92. सूचीबद्ध ज्ञात कारकों से क्षति नहीं हुई है जैसे कि निम्नानुसार देखा गया है:

क. तीसरे देश से आयातों की मात्रा और कीमत

93. संबद्ध वस्तु के अधिकांश आयात चीन जन. गण. से हो रहे हैं। चीन जन. गण. से इतर देशों से आयातों की मात्रा वियतनाम को छोड़कर अधिक नहीं है। वियतनाम से आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में तर्क दिया है कि चूंकि वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए संबद्ध देशों के दायरे में बदलाव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया है कि वे वियतनाम के विरुद्ध एक नया आवेदन दायर करने की प्रक्रिया में हैं। इस संबंध में, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा जांच में जांच का दायरा पाटनरोधी शुल्क से पहले से अधीन देशों से पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच तक सीमित होता है। यद्यपि घरेलू उद्योग को वियतनाम से आयातों के कारण भी क्षति हो सकती है, तथापि यह एक अलग जांच के जरिए जांच करने का विषय है। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया है कि निर्णायक समीक्षा जांच में संबद्ध देश के विरुद्ध तब भी शुल्क को जारी रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि आयात शुल्क लागू होने के बाद अन्य स्रोतों से भी आना शुरू हो गए हैं।

ख. मांग में संकुचन और / या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

94. भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। इसके बजाय क्षति जांच अवधि के दौरान मांग में भारी वृद्धि हुई है।

ग. खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

95. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

96. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

97. संबंधित उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी में विकास को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

च. निर्यात निष्पादन

98. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालन के आंकड़ों पर विचार किया है। अतः निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं है।

छ. कोविड-19 का प्रभाव

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोविड-19 द्वारा प्रभावित वर्षों अर्थात् 2020-21 और 2021-22 के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन सापेक्ष रूप से अच्छा था। उसके बाद ही घरेलू उद्योग के निष्पादन में पीओआई में गिरावट आई है। इस प्रकार पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति को कोविड-19 से नहीं जोड़ा सकता है।

ज. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

100. किसी समीक्षा में प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होता है कि क्या संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही है या प्रवेश की संभावना है और क्या यदि शुल्क हटाया जाता है तो इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

101. क्षति की संभावना के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

क. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना नहीं है।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

102. क्षति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोधों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

क. चीन के पाटित आयातों के कारण निरंतर पाटन और परिणामी क्षति मौजूदा शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में और अधिक तीव्र पाटन तथा क्षति की निकट संभावना का एक स्पष्ट संकेतक है।

ख. आयात पहले पाटित कीमतों पर हो रहे हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। तथापि, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क घरेलू उत्पादकों को नुकसान उठाने से बचाने वाले एक सुरक्षा नेट के रूप में कार्य कर रहा है। यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो उससे घरेलू उत्पादकों को इतना अधिक वित्तीय घाटा हो जाएगा कि घरेलू उत्पादकों को अलाभकारी आयातों के कारण अपनी दुकान बंद करने को बाध्य होना पड़ेगा।

ग. घरेलू उद्योग हासिए पर आ गया है और उसने चीन के निर्यातकों को अपना काफी व्यवसाय गंवा दिया है। उन्होंने बताया है कि यद्यपि अधिकांश व्यावसायिक सौदे इस क्षेत्र में मौखिक रूप से होते हैं। तथापि उन्होंने लिखित पत्र दिया है कि उनके एक उपभोक्ता ने चीन जन. गण. से "सस्ते विकल्प" की उपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग से खरीद करने से इंकार कर दिया है।

घ. चीन जन. गण. में विचाराधीन उत्पाद की क्षमता में काफी अधिक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, चीन जन. गण. में आगे और क्षमता विस्तार की योजना है। उन्होंने अपने अनुरोध को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित साक्ष्य दिए हैं:

i. चांगझोऊ बेटर सेंचुरी फिल्म टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड ने शान्क्सी प्रोर्विस की जियानयांग सिटी इक्विपमेंट मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीयल पार्क मैनेजमेंट कमेटी और जियानयांगकिंडु डिस्ट्रिक्ट स्टेट-ओन्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ जियानयांग, शान्क्सी में 8 जीडब्ल्यू फोटो वोल्टिक मॉड्यूल ईवीए फिल्म परियोजना के निर्माण के लिए एक परियोजना निवेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का कुल निवेश 500 मिलियन युवान होना अनुमानित है और यह संयंत्र 2022 में उत्पादन शुरू करने का पता चला है। इस संयंत्र का वार्षिक उत्पादन मूल्य लगभग 1 बिलियन युवान माना गया है।

ii. चांगझोऊ बेटर सेंचुरी फिल्म टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड आगे चुझोऊ के चीन के शहर में एथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए) उत्पादन की 20 जीडब्ल्यू की स्थापना में आरएमबी 800 मिलियन (125 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश किया है।

iii. दुशान्जी तियानली हाई-टेक पेट्रोकेमिकल ने जियानयांग और सीएनपीसी के सहयोग से 2 लाख टन / वर्ष उत्पादन करने की क्षमता के साथ एक नई ईवीए परियोजना में सितंबर, 2022 में उत्पादन शुरू किया है।

- iv. दिनांक 3 मार्च, 2022 को झोंगे रिफाइनिंग ने ईवीए उत्पादों की संपूर्ण प्रक्रिया और उत्पादन के स्टार्ट-अप के लिए 1,00,000 / वर्ष ईवीए संयंत्र की शुरुआत की है।
- v. 2022 में गुलाई पेट्रोकेमिकल ने 3 लाख टन / वर्ष की क्षमता के साथ एक संयंत्र की शुरुआत की है।
- vi. इसके अलावा, 2022 में शेनहांग ने रिफाइनिंग ने 3 लाख टन / वर्ष की क्षमता के साथ एक संयंत्र की शुरुआत की है।
- vii. 2022 में जोड़ी गई अनुमानित नई ईवीए संयंत्र क्षमता 900,000 टन है।
- viii. 2023 में निंग्जिया बाओफ्रेंग द्वारा 250,000 टन/ वर्ष की तीन क्षमताएं जोड़े जाने की उम्मीद है।
- ix. 2023 में यूलॉगदाओ रिफाइनिंग और केमिकल इंटीग्रेशन द्वारा 7 लाख टन / वर्ष क्षमता जोड़े जाने की उम्मीद है।
- x. 2023 में जोड़ी जाने वाली अनुमानित नयी ईवीए संयंत्र क्षमता 950,000 टन है।
- xi. अगले पांच वर्षों में चीन द्वारा 1.6 मिलियन टन / वर्ष की नयी क्षमताओं को जोड़ कर अपनी ईवीए उत्पादन क्षमता को 3.5 मिलियन टन / वर्ष तक ले जाने की उम्मीद है।
- xii. झेजियांग पेट्रोकेमिकल और यानचांगयुलिन ने अपने ईवीए उत्पादन में 300 टन / वर्ष तक की वृद्धि की है।
- xiii. हांगझोऊ पहले वैश्विक बाजार हिस्से के लगभग 60 प्रतिशत को लेता है और शीर्ष तीन चीन के ईवीए निर्माता वैश्विक बाजार के 80 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा रखे हैं।
- ड. घरेलू उद्योग ने एक संभावित क्रेता से एक ई-मेल पत्र प्रस्तुत किया है जिसने चीन जन. गण. से सस्ते विकल्प की उपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग से संबद्ध वस्तु के आर्डर पर आगे कार्रवाई करने से मना कर दिया है।
- च. देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की मौजूदा क्षमताएं लगभग 7 गुना बढ़ गई हैं। इसके अलावा, पूर्ववर्ती वर्षों में इस क्षेत्र में वृद्धि पर विचार करते हुए कम से कम 8 नए उत्पादकों ने देश में संबद्ध वस्तु का उत्पादन और बिक्री करने के लिए शॉप स्थापित की है।
- छ. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग चीन से पाटित वस्तु से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हुए हैं जिससे औद्योगिक वृद्धि का एक आशावादी माहौल बना है। इससे इस क्षेत्र में भारी निवेश हुआ है और इस क्षेत्र में अनेक कंपनियां उत्पादन संयंत्र स्थापित कर रही हैं। तथापि, पीओआई की अवधि में चीन से आयात कीमतों में भारी गिरावट आई है जिससे भारत में उद्योग में किए गए नये निवेश पर अत्यधिक जोखिम आ गया है। नयी जोड़ी गई क्षमताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

घरेलू उत्पादकों का नाम	उपलब्ध क्षमता
रिन्यूसिस इंडिया प्रा. लिमिटेड (आवेदक)	***
विशाखा रिन्यूवेबल प्रा. लिमिटेड	***
नेविटास अल्फा रिन्यूवेबल प्रा. लिमिटेड	***
अलीशान ग्रीन एनर्जी प्रा. लिमिटेड	***
एनरर्लाइट सोलर फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	***
फिल्मटेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड	***
पिक्सन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	***
नैक एनर्जी	***
शिवम ग्रीनटेक	***

सनलिक	***
ईसीएपी ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड	***
कुल भारतीय क्षमता	62,731

प्राधिकारी द्वारा जांच

103. प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II (vii) और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों की जांच की है।
104. प्राधिकारी संसुक्ति करते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इस जांच का फोकस पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करना है। इसमें यह विचार करना भी अपेक्षित है कि क्या लागू शुल्क क्षतिकारी पाटन को समाप्त करने का अपना लक्षित प्रयोजन पूरा कर रहा है।
105. प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए सभी कारकों की यह निर्धारित करने के लिए जांच की गई है कि क्या शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन या क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध करायी गई विभिन्न सूचना पर पाटन या क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना के मूल्यांकन के लिए विचार किया है।
106. ऐसी कोई संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट प्रौद्योगिकियां उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, नियमावली के अनुबंध II के खंड vii में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे तथ्य बताए गए हैं जिन पर विचार किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना पर प्रभाव डालने वाले अन्य संगत कारकों की भी जांच की है:

क. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की अधिक दर जो काफी बढ़े हुए आयातों की संभावना दर्शाती हो: रिकार्ड के आंकड़ों से प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से आयातों में 2020-21 में गिरावट आई है और पीओआई में भारी वृद्धि के साथ तत्पश्चात वृद्धि हुई है। इसके ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
चीन से आयात (एमटी)	8,343	4,805	8,091	10,528
सूचीबद्ध	100	58	97	126

ख. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या कोई निकट, भारी वृद्धि जो किसी अतिरिक्त निर्यात की खपत के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए भारतीय बाजारों में पाटित आयातों में काफी अधिक वृद्धि की संभावना दर्शाते हैं: रिकार्ड में तथ्यों और साक्ष्यों से प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन में भारी क्षमता वृद्धि हुई है। क्षमताओं में भारी वृद्धि तथा क्षमताओं निकट भविष्य में और अधिक वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर किसी हितबद्ध पक्षकार ने विवाद नहीं किया है। इसके अलावा, रिकार्ड में साक्ष्य दर्शाते हैं कि शीर्ष तीन चीनी निर्यातकों के पास स्वयं वैश्विक बाजार का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटित आयातों के और अधिक मात्रा में भारतीय बाजार में प्रवेश करने की संभावना है। इसके अलावा, चीन से एक मात्र सहयोगी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली का उत्तर भी उक्त निर्यातक की क्षमताओं में पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। यह भी नोट किया गया है कि चीन जन. गण. से सहयोगी निर्यातक की अत्यधिक क्षमता का उपयोग क्षति अवधि के दौरान हुआ है।

ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और उनसे और अधिक आयातों की मांग बढ़ने की संभावना होगी: रिकार्ड में आंकड़ों से प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन का सामान भारतीय बाजार में ऐसी कीमत पर प्रवेश कर रहा है जिससे घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासकारी / न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है। यह देखा जा सकता है कि 2020-23 और 2021-22 को छोड़कर चीन से पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य और लागत से कम है। चीन से आयातित वस्तुओं का पहुंच मूल्य बिक्री मूल्य और पीओआई में घरेलू उद्योग की लागत से कम था। जबकि ऊपर गणना किए गए पहुंच मूल्य लागू पाटनरोधी शुल्क को ध्यान में रखे बिना हैं, उपरोक्त जांच से इस

बात की प्रबल संभावना है कि एंटी-डंपिंग शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, घरेलू उद्योग घाटे की स्थिति में चला जाएगा।

- घ. **जांच की जा रही वस्तु की मालसूची:** घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए बाजार रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं कि चीन के ईवीए बाजार में “अति आपूर्ति की उच्च संभावना” है। उक्त रिपोर्ट का यह भी अनुमान है कि “चीन का ईवीए उद्योग अगले पांच वर्षों में मूल रूप से समतल बना रहेगा”। एक मात्र सहयोगी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली भी क्षमता, उत्पादन और मालसूची में भारी वृद्धि की ओर संकेत करती है।
- ड. **संबद्ध वस्तु का निरंतर पाटन:** पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों ही चीन से आयातों के लिए सकारात्मक है। इस प्रकार शुल्क के अभाव में संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने की संभावना है।
- च. **तीसरे देश को पाटन:** प्राधिकारी ने तीसरे देशों को सहयोग निर्यातक के निर्यातों की जांच की है। इसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	मात्रा	मूल्य (आरएमबी)	मूल्य (यूएसडी)	कुल निर्यातों का %	रेंज
सामान्य मूल्य से कम	***	***	***	***%	30-40
सामान्य मूल्य से अधिक	***	***	***	***%	60-70
कुल	***	***	***	***%	

सहयोगी निर्यातक के तीसरे देशों के निर्यातों से नोट किया जाता है कि उक्त निर्यातक के 36.28 प्रतिशत निर्यात पाटन कीमतों पर हुए हैं।

- छ. **तीसरे देश को क्षतिकारी आयात:** प्राधिकारी ने तीसरे देशों को सहयोगी निर्यातक के निर्यातों की जांच की है इसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	मात्रा	मूल्य (आरएमबी)	मूल्य (यूएसडी)	कुल निर्यातों का %	रेंज
एनआई से कम	***	***	***	***%	30-40
एनआई से अधिक	***	***	***	***%	60-70
कुल	***	***	***	***%	

सहयोगी निर्यातक के तीसरे देशों के निर्यातों से नोट किया जाता है कि उक्त निर्यातक के 36.05 प्रतिशत निर्यात क्षतिकारी कीमतों पर हुए हैं।

- ज. **तीसरे देश को निर्यात बनाम भारत को निर्यात:** प्राधिकारी ने भारत को सहयोगी निर्यातक के निर्यातों के मुकाबले तीसरे देशों को उक्त निर्यातक के निर्यातों की जांच की है। इसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	मात्रा	मूल्य (आरएमबी)	मूल्य (यूएसडी)	कुल निर्यातों का %	रेंज
एनईपी से कम (भारत)	***	***	***	***%	30-40
एनईपी से अधिक (भारत)	***	***	***	***%	60-70
कुल	***	***	***	***%	

उक्त से यह नोट किया जाता है कि सहयोगी निर्यातक ने अपनी वस्तुओं के 31.68 प्रतिशत हिस्से का तीसरे देशों को भारत को निर्यात कीमत से कम पर निर्यात किया है।

- झ. **पीओआई में घरेलू उद्योग की एनएसआर से कम और अधिक पहुंच मूल्य:** प्राधिकारी ने अन्य देशों को सहयोगी निर्यातक के निर्यातों की जांच भी की है। इस संबंध में आंकड़ों का सारांश नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	मात्रा	पहुंच कीमत (यूएसडी/एमटी)	एनएसआर (डीआई) (यूएसडी/एमटी)	कीमत कटौती	कुल निर्यातों का %	रेंज
एनएसआर से कम एलवी	***	***	***	***%	***	30-40
एनएसआर से अधिक एलवी	***	***	***	***%	***	60-70

107. उक्त से यह नोट किया जाता है कि तीसरे देशों से सहयोगी निर्यातक के निर्यातों का 31.99 प्रतिशत हिस्सा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर हुआ है।

ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

108. प्राधिकारी ने जांच में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को प्रकट करते हुए और सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए 21 दिसंबर, 2023 को प्रकटन विवरण जारी किया। प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में उठाए गए अधिकांश मुद्दों को पहले भी उठाया गया है और इसका समाधान इसमें ऊपर उपयुक्त रूप से किया है। संगत मानी गई सीमा तक अतिरिक्त अनुरोधों की जांच, प्राधिकारी द्वारा नीचे की गई है:

ट1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

109. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. सहभागी उत्पादक/निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और शुल्क की दर की नए सिरे से गणना की जानी चाहिए।
- ख. उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भी प्राधिकारी द्वारा जब और जैसे सूचना मांगी गई थी, सभी आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई है। चूंकि, प्राधिकारी ने वहां व्यापक समीक्षा की है, जहां उत्पादक/निर्यातक का पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन तथा घरेलू उद्योग को क्षति का फिर से निर्धारण निर्णायक समीक्षा जांच में की गई है ताकि प्राधिकारी को उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्तमान आंकड़ों के आधार पर शुल्क, यदि कोई हो, की फिर से गणना करनी चाहिए और उसकी सिफारिश करनी चाहिए।
- ग. निर्णायक समीक्षा जांच में, प्राधिकारी को नियम 23(1) और 23(3) के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी को भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने की आवश्यकता है। इसे पाटनरोधी जांच में परिकलित पाटन/क्षति मार्जिन जारी नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे वर्तमान परिस्थितियों, विशेषकर जब उत्पादक/निर्यातक पूर्ण रूप से सहयोगी हो और प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सभी आवश्यक सूचना उपलब्ध करा रहा हो, के आधार पर वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में परिकलित की जानी चाहिए।
- घ. प्राधिकारी को अनुबंध-3 के साथ पठित नियम 17(1) के अनुसार, इस नियमावली और कमतर शुल्क नियम के अनुसार परिकलित पाटनरोधी शुल्क आधारित पाटन/क्षति मार्जिन की गणना वर्तमान जांच में परिकलित क्षति रहित, के आधार पर करनी चाहिए।
- ड. प्राधिकारी पाटन मार्जिन के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 4(घ) के अन्तर्गत कर्तव्य से बंधा हुआ है। वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में, प्राधिकारी गणना की गई पाटन मार्जिन के अनुसार शुल्क लगाने के लिए इन नियमों से बंधा हुआ है और उन्हें पूर्व के पाटनरोधी शुल्क को जारी नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा, कमतर शुल्क नियम के अनुसार, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के आधार पर शुल्क जारी रखना चाहिए/उसकी सिफारिश करनी चाहिए।
- च. विगत में, डीजीटीआर सभी अर्थ में उपर्युक्त नियमावली को निरंतर रूप से लागू करता रहा है और निर्णायक समीक्षा जांच में पाटनरोधी शुल्क में संशोधन करता रहा है। अनेक निर्णायक समीक्षा जांचों में, डीजीटीआर ने जांच की अवधि के लिए भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के निर्यात आंकड़ों के आधार

पर पाटनरोधी शुल्क की नई दर तय की है और उसकी सिफारिश की है। उसी प्रकार, अनेक मामलों में डीजीटीआर ने निर्णायक समीक्षा जांचों में पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने की भी सिफारिश की है।

- छ. यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर शुरु की गई है। याचिका में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का उपयोग घरेलू उद्योग द्वारा आम सुनवाई सहित पूरी कार्यवाही में उपयोग किया गया है। हालांकि, हमें आश्चर्य हुआ है कि याचिकाकर्ता का आयात और आर्थिक मापदंडों के संबंध में सूचना याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका/लिखित अनुरोध में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की तुलना में बहुत अधिक परिवर्तन दर्शाता है। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए आंकड़ों के स्रोत तथा इस मामले में कार्यवाही करने के पूर्व उपर्युक्त परिवर्तनों के कारणों को स्पष्ट करें।
- ज. चीन जन.गण. से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद को पाटित किए जाने की कोई स्थिति नहीं है और चीन जन.गण. से पाटन और आयातों के कारण क्षति की कोई संभावना नहीं है। इस जांच में पाटनरोधी शुल्क जारी रखना दीर्घ अवधि में और भारतीय घरेलू उद्योग तथा इसके डाउनस्ट्रीम उद्योगों के समग्र हितों के अनुरूप नहीं होगा।
- झ. घरेलू उद्योग अकेले भारतीय मांग को पूरा नहीं कर सकता है; इस कारण से आयात आवश्यक हैं। मौजूदा शुल्क ने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया है और यह अब अपेक्षित नहीं है।
- ञ. उत्पादक/निर्यातक का यह विश्वास है कि प्राधिकारी द्वारा संरचित सामान्य मूल्य (सीएनवी) और गणना की गई क्षति रहित कीमत (एनआईपी) बहुत बढ़ाया हुआ है और हमारा यह विश्वास है कि वह काल्पनिक अनुमानों पर आधारित है।
- ट. प्राधिकारी ने लेन-देनवार आंकड़ों के साथ तुलना कर भारत और एनआईपी/सीएनवाई का उपयोग कर तीसरे देश से निर्यातों और भारत को निर्यातों के लिए क्षति रहित कीमत की जांच की है, जिसके फलस्वरूप त्रुटिपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसे अनेक कारक हैं जो कि कच्चे माल की एनआईपी/सीएनवाई कीमतों, वेतन और मजदूरी, यूटिलिटी की लागत, ह्रास आदि को प्रभावित करते हैं। संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किया गया कच्चा माल अर्थात् ईवीए ग्रेनुल्स, एचडीपीई कंपाउंड्स और पूर्ण इथेनॉल हैं। ये सभी उत्पाद पैट्रोलियम पर आधारित हैं और उनकी कीमतों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होता है।
- ठ. पाटनरोधी शुल्कों को लगाना जनहित में नहीं होगा। वर्तमान जांच में इस बात की पूरी संभावना है कि याचिकाकर्ता बाजार पर प्रभुत्व कायम रखेंगे और बाजार प्रवेश के लिए अवरोध उत्पन्न करेंगे जो भारत के उपयोग के प्रतिस्पर्धी वातावरण और स्वस्थ विकास के लिए हानिकारक हैं। याचिकाकर्ता अपनी क्षमताओं के कारण संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। याचिकाकर्ता अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित अनुरोधों में यह तथ्य उपलब्ध कराते हैं कि भारतीय उत्पादकों की क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

ट 2. समर्थकों द्वारा किए गए अनुरोध

110. समर्थकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना भारतीय उद्योग के जीवित रहने और उसके विकास के लिए आवश्यक है। भारत में ईवीए उद्योग ने पाटनरोधी शुल्कों के रूप में सरकार द्वारा दिए गए संरक्षण के कारण पिछले 5 वर्षों में बहुत अधिक वृद्धि देखी है।
- ख. पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद, चीन के निर्यातक भारतीय बाजार में अनुचित कीमतों पर ईवीए शीट का निर्यात करना जारी रखते हैं। हालांकि, मौजूदा शुल्कों ने भारतीय उद्योगों को घाटे कम करने में और बाजार में पहुंच बनाने में बहुत अधिक सहायता की है। इस महत्वपूर्ण समय में, पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने के फलस्वरूप बाजार में बहुत अधिक अराजकता उत्पन्न हो जाएगी जिसमें ईवीए शीट के भारतीय उत्पादक हाशिए पर चले जाएंगे।
- ग. शुल्कों को लगाए जाने के बाद अधिकांश आयात शुल्क प्रदत्त आधार पर हो रहे हैं। इस प्रकार, आयात की कीमतें जिसमें शुल्क संघटक शामिल हैं, पहुंच मूल्य की गणना के उद्देश्य से विश्वसनीय नहीं हैं। यदि

महानिदेशालय मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों में परिवर्तन करना चाहता है तब चीन के निर्यातकों का आयात लेन-देन की शुल्क में किसी बदलाव लाए जाने के पूर्व सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

- घ. प्रकटन विवरण बाजार की वास्तविक सचाईयों को नहीं दर्शाता है क्योंकि यह उल्लेख करता है कि सहयोगी उत्पादक का क्षति मार्जिन 1%-10% के दायरे में है। इसका अभिप्राय आवश्यक रूप से यह है कि उक्त निर्यातक भारतीय उत्पादकों की 290 रु./कि.ग्रा. से 320 रु./कि.ग्रा. की बिक्री कीमत के विपरीत 360 रु./कि.ग्रा. से 420 रु./कि.ग्रा. के दायरे में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहा है, जो बिल्कुल संभव नहीं है।
- ड. शुल्क में कमी अथवा शुल्क को वापस लिए जाने के फलस्वरूप कीमतों में आनुपातिक कमी आएगी जो घरेलू उत्पादकों को या तो बहुत अधिक हानि उठाने अथवा प्रचालन बंद करने के लिए बाध्य करेगा। यह अनुरोध किया जाता है कि पूर्व में लगाए गए शुल्कों का विस्तार इसे बिना बंद किए/कटौती किए किया जाना चाहिए।
- च. उस समय जब 2019-20 में पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, ईवीए की कीमतें 1,50,000 – 1,80,000 रु./एमटी के दायरे में हुआ करती थी। इस प्रकार, चीन के विरुद्ध 537 -897 यूएसडॉ./एमटी के दायरे में लगाए गए शुल्कों को ईवीए शीट की उस समय की कीमतें मानी जा रही थी। उस समय शुल्कों को इस तथ्य पर विचार करते हुए लगाया गया था कि चीन की कीमतों और भारतीय कीमतों के बीच 30-40% का अंतर है। हालांकि, चूंकि ईवीए शीट की कीमतों पर कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के कारण लगभग 100% तक वृद्धि हुई है। ईवीए की कीमतों में वृद्धि के कारण, पूर्व में लगाए गए शुल्क इस उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि वे ईवीए कीमतों का 15%-20% ही है। दूसरी ओर, चीन की कीमतों और भारतीय कीमतों के बीच वास्तविक अंतर 30-40% होता है।
- छ. कुछ समर्थकों ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में मूल जांच के समय से वृद्धि हुई है। उन्होंने कीमतों में वृद्धि के अनुरूप निर्धारित शुल्क आधार पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की मात्रा में वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

ट3. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

111. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए लेन-देनवार आंकड़ों तथा प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में आयातों की मात्रा में बहुत अधिक अंतर है। घरेलू उद्योग यह समझता है कि डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में आयातों की मात्रा में अंतर इस तथ्य के कारण आंकड़ों को अलग करने तथा विचाराधीन उत्पाद की पहचान करने में कठिनाई के कारण हो सकती है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई अलग शीर्ष/वर्गीकरण नहीं है। हालांकि, प्राधिकारी आयातों की मात्रा का सत्यापन करने के लिए डीजी प्रणाली आंकड़ों की मांग कर सकते हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बाजार आसूचना भी यह सुझाव देती है कि चीन से आयात जांच की अवधि के दौरान 15,000 एमटी से अधिक हुए हैं।
- ख. घरेलू उद्योग की बाजार आसूचना के अनुसार, सहयोगी निर्यातक भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम पर कर रहा है। प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए एनआईपी के आधार पर, सहयोगी निर्यातक का क्षति मार्जिन 20%-30% के बीच होनी चाहिए थी।
- ग. प्रकटन विवरण से यह नोट किया जाता है कि सहयोगी निर्यातक के लिए परिकल्पित क्षति मार्जिन 1%-10% के दायरे में है। घरेलू उद्योग एनआईपी पर विचार करते हुए, निर्यातक का पहुंच मूल्य 3,15,000 – 3,30,000 रु./एसमटी के बीच ही होना चाहिए। सबसे बढ़कर पहुंच मूल्य, उक्त निर्यातक से किए गए आयातों पर 590 यूएसडॉ./एमटी अथवा 47,876 रु./एमटी पर पाटनरोधी शुल्क लगता है। पहुंच मूल्य में उसे जोड़ने से अंतिम निर्यात मूल्य 3,62,876 से 3,77,876 प्रति एमटी हो जाएगा। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग ***रु./एमटी पर अपने उत्पाद की बिक्री करने के लिए बाध्य है, यह संभव है कि तथाकथित सहयोगी निर्यातक 3,62,876 से 3,77,876 प्रति एमटी के दायरे में अपने उत्पाद की बिक्री कर रहे हैं। यदि वे इतनी अधिक कीमतों पर अपने उत्पाद की बिक्री वास्तव में करते तब

घरेलू उद्योग के पास इतनी अधिक मात्रा में अप्रयुक्त क्षमताएं नहीं होती और ***/एमटी की इसकी वर्तमान बिक्री कीमत पर भी कोई क्रेता नहीं होता।

- घ. घरेलू उद्योग के अधिकांश उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं के आयातक भी हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि प्रकटन विवरण जारी किए जाने के बाद, घरेलू उद्योग ने अपने ग्राहकों से प्रकटन विवरण में दर्शाए गए ऐसे अधिक पहुंच मूल्य के कारण के बारे में पूछताछ की। हमारे अधिकांश ग्राहकों ने हमें सूचित किया कि चीन निर्यातक संबद्ध वस्तुओं का निर्यात प्रदत्त शुल्क अथवा दिए गए आधार पर कर रहे हैं जिसमें वीजक मूल्य में पाटनरोधी शुल्क संघटक अथवा आयात के बाद वेयरहाउस तक उत्पाद की प्रदायगी का खर्च शामिल है। घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, सहयोगी निर्यातक (एसवेक) तथा चीन के अन्य उत्पादकों ने ऐसे आधार पर संबद्ध वस्तुओं की बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया है। प्राधिकारी को निर्यातक और आयातक के साथ इसका क्रास-चेक करना चाहिए और इस आशय का एक वचन-पत्र लेना चाहिए। न्यूनतम शुल्कों वाले निर्यातकों तथा आयातकों के असहयोग के लिए कारण यह है कि वे इसे प्राधिकारी को प्रकट नहीं करना चाहते थे। यही सही कारण है कि क्यों प्रौड किए जाने के बावजूद आयातक ने प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करने से इंकार किया।
- ड. निर्णायक समीक्षा जांच में कानूनी अधिदेश इस तथ्य की जांच करना है कि क्या शुल्कों को “जारी” नहीं रखे जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। इस सीमा तक, कानून केवल निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्कों को जारी रखने की अनुमति देता है। यह केवल इस कारण से है कि कानून में “मध्यावधि समीक्षा” का भी प्रावधान था, जहां शुल्क बदली हुई परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं।
- च. मूल जांच में शुल्क उस समय संबद्ध वस्तुओं की कीमत और पहुंच मूल्य पर आधारित थी। तब से, संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत के कारण बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तुओं की कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि में पहुंच मूल्य और क्षतिरहित कीमत में वृद्धि शामिल है, जिसके फलस्वरूप शुल्कों में बहुत अधिक यथा-मूल्य कमी आई है।
- छ. मूल जांच में सहयोगी निर्यातक (एसवेक) के विरुद्ध 590 यूएसडॉ./एमटी शुल्क लगाया गया था, जो (25%-35%) के दायरे में था। मूल जांच में अन्य निर्यातकों के विरुद्ध शुल्क 897 यूएसडॉ./एमटी था, जो (35%-45%) के दायरे में था। हालांकि, बढ़ी हुई कीमतों के कारण, वर्तमान मूल्यों के आधार पर उक्त शुल्क सहयोगी निर्यातक के लिए 10%-15% और गैर-सहयोगी निर्यातकों के लिए लगभग 20% की सीमा में होगा, जो मूल जांच में लगाए गए शुल्कों की तुलना में बहुत कम है लेकिन घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति से बचाने में बहुत सहायक होगा।
- ज. घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए किए गए प्रभाव के विश्लेषण का खंडन किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा नहीं किया गया है। उक्त विश्लेषण ने स्पष्ट रूप से यह दर्शाया कि अंतिम प्रयोक्ताओं पर 20% पाटनरोधी शुल्क का मामूली (0.34%) प्रभाव (भूमि की लागत पर विचार किए बिना) होगा।
- झ. चीन का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से बहुत कम है। घरेलू उद्योग लागू पाटनरोधी शुल्कों के कारण ही लागत से अधिक पर अपने उत्पाद की बिक्री करने में सक्षम है। हालांकि, शुल्कों के लागू रहने के बावजूद, घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की उचित कीमत (जैसाकि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है) वसूलने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में, शुल्कों में कटौती से घरेलू उद्योग की स्थिति और खराब हो जाएगी और यह घाटे की स्थिति में चला जाएगा।
- ञ. घरेलू उद्योग वर्तमान मामले में अधिक संरक्षण नहीं मांग रहा है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग देश में पाटित और क्षतिकारक चीन के आयातों के विरुद्ध समान अवसर की मांग कर रहा है। जबकि मूल जांच में शुल्क चीन, मलेशिया, थाइलैंड और सऊदी अरब के विरुद्ध चार देशों के विरुद्ध लगाए गए थे। घरेलू उद्योग ने चीन के विरुद्ध शुल्कों को जारी रखने के लिए ही अनुरोध किया। यह अपने आप में इस बात का साक्ष्य है कि घरेलू उद्योग अधिक संरक्षण की मांग नहीं कर रहा है बल्कि चीन से पाटित और क्षतिकारक आयातों के खतरे से एक तर्कसंगत संरक्षण मांग रहा है।

- ट. रिकॉर्ड पर साक्ष्यों से यह निर्विवाद तथ्य है कि चीन के 3 शीर्ष निर्यातकों के पास वैश्विक बाजार हिस्सा का 80% से अधिक है। ऐसी स्थिति में, चीन के निर्यातकों का असहयोग उद्देश्यपूर्ण है। यदि उक्त निर्यातक प्राधिकारी के समक्ष भाग लिए होते तब यह स्पष्ट हो जाता कि पाटन और क्षति की बड़ी हुई संभावना है। उनकी भागीदारी यह सुनिश्चित करती कि उनकी क्षमताओं, उत्पादन और मालसूची तथा निर्यातकों के संबंध में आंकड़े रिकॉर्ड पर हुए होते। हालांकि, उक्त पक्षकारों ने ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़ों से प्राधिकारी को वंचित रखने और किसी प्रकार शुल्कों को निरस्त किए जाने अथवा उसमें कटौती किए जाने के उद्देश्य से सहयोग नहीं करने का विकल्प चुना। प्राधिकारी को चीन के निर्यातकों द्वारा जानबूझकर असहयोग करने को कठोरता से लेना चाहिए और पूर्व में लगाए गए शुल्कों को लगातार लगाए रखने की सिफारिश करनी चाहिए।
- ठ. सहयोगी निर्यातक द्वारा तीसरे देशों को किए गए निर्यातों का विश्लेषण करते समय, केवल एशिया-पैसिफिक क्षेत्र को किए गए निर्यातों पर विचार किया जाना चाहिए। यह विनम्र अनुरोध है कि एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के बाहर कीमतें मैक्रो-इकोनॉमिक्स तथा ऐसे क्षेत्रों की अपेक्षाकृत अधिक श्रमिक लागतों के कारण ऐतिहासिक रूप से और स्वाभाविक रूप से अधिक होती हैं। वह निम्नलिखित से स्पष्ट है:
- एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के बाहर के देशों से भारत में संबद्ध वस्तुओं का बहुत कम आयात हुआ है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत का बाजार एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के बाहर के निर्यातकों के लिए आकर्षक नहीं है। ऐसा इन देशों में प्रचलित अपेक्षाकृत अधिक कीमतों के कारण है।
 - एशिया-पैसिफिक क्षेत्र से बाहर घरेलू उद्योग के निर्यात भी भारत में उनकी बिक्री कीमतों से बहुत अधिक पर होते हैं। वह घरेलू उद्योगों के निर्यातों के विवरण से स्पष्ट है जो पहले से ही प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। सुविधा के वास्ते, उसे सारांश रूप में नीचे तालिका में भी दिया गया है:

देश	घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत
अर्जेंटीना	***
फ्रांस	***
नीदरलैंड	***
सऊदी अरब	***
स्पेन	***
यूएसए	***
संयुक्त अरब अमीरात	***
कुल	***
भारत (बिक्री कीमत)	***

- उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत भारत में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में अन्य देशों में 20% से अधिक है। ऐसा इसलिए है कि भारत और एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में बाजार अन्य देशों के बाजार की तुलना में अलग रूप से स्थित हैं। इस प्रकार, ऐसे देशों को किए गए अधिक कीमत पर निर्यात चीन के निर्यातकों के कीमत निर्धारण संबंधी व्यवहार के बारे में सही स्थिति नहीं दर्शाएगी। हालांकि, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया आदि जैसे देशों में विचाराधीन उत्पाद का बाजार भारत में बाजार के अनुरूप समान रूप से स्थित है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करता है कि वे ऐसे निर्यातक के कीमत संबंधी व्यवहार के बारे में निष्कर्ष निकालने के पूर्व चीन के निर्यातक द्वारा एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में किए गए निर्यातों का अलग विश्लेषण करे।

- ड. तीसरे देश को सहयोगी निर्यातक का निर्यात इस तथ्य को देखते हुए बहुत अधिक संगतता नहीं रखता है कि यह एक स्वीकार की गई स्थिति है कि चीन जन.गण. के सहयोगी निर्यातक की बहुत अधिक क्षमता क्षति की अवधि के दौरान अप्रयुक्त है। प्राधिकारी को इस बात को समझेंगे कि चूंकि सहयोगी निर्यातक के पास बहुत अधिक अप्रयुक्त क्षमताएं हैं, अतः इसका बल अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने और भारतीय बाजार में पाटित करना जारी रखने पर होगा।
- ढ. निर्णायक समीक्षा जांच में, इस जांच का केन्द्र बिंदु पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना की जांच करना है। हालांकि घरेलू उद्योग विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रकटन विवरण से नोट करता है कि किसी भी विरोधी पक्षकार ने एकमात्र मूल कथन को छोड़कर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया है।
- ण. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने शुल्कों को बंद किए जाने/उसमें कटौती किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए बहुत अधिक संख्या में साक्ष्यों का खंडन नहीं किया है।
- त. संबद्ध वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक अस्थिर हैं। ये कीमतें अपने आप में मूल जांच से प्रायः दुगुनी हो गई है। ऐसी स्थिति में, संदर्भ कीमत आधारित शुल्क या तो घरेलू उद्योग अथवा संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं के हित में नहीं होगा।
- थ. पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने, बढ़ती हुई मांग और प्राधिकारी द्वारा पाटित और क्षतिकारक चीन के आयातों से दिए गए संरक्षण के बाद, इस उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए नई क्षमताएं स्थापित करने में बहुत अधिक निवेश किए। मूल जांचों में दो उत्पादकों के विरुद्ध (चार उत्पादक थे लेकिन दो तब तक बंद हो चुके थे जब शुल्क लगाए गए थे), 8 और उत्पादकों ने भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने के लिए संयंत्र स्थापित किया। इस देश में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमताओं में भी कई गुणा वृद्धि हुई। अधिकांश नई क्षमता उद्योग द्वारा 2020-21 और 2021-22 जब चीन को कोविड-19 महामारी और बहुत अधिक भाड़ा शुल्क के कारण निर्यातों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, में बहुत अधिक होने के बाद, जांच की अवधि में उद्योग द्वारा बढ़ाई गई थी। हालांकि, जैसे ही सुधार हुआ, चीन के निर्यातकों ने काफी मात्रा में पाटन किया है और अस्तित्व का खतरा इस उद्योग पर बनने की संभावना है।
- द. चीन से बहुत अधिक मात्रा में पाटित कीमतें न केवल घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन को बाधित करती हैं बल्कि अन्य स्रोतों (वियतनाम को छोड़कर, वियतनाम से से अधिकांश आयात मैसर्स चांगझोऊ बेटर सेंचुरी फिल्म टेक्नोलॉजिज कंपनी लिमिटेड, चीन की सहायक कंपनी से हुई है) से आयातों को भी प्रतिबंधित करती हैं। इस प्रकार, चीन के आयात भी भारतीय ग्राहकों को अन्य स्रोतों से उपलब्ध विकल्पों को प्रतिबंधित कर रही है।

24. प्राधिकारी द्वारा जांच

112. प्राधिकारी ने नोट किया कि प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में उठाए गए अधिकांश मुद्दों को पहले भी उठाया गया है और उसका समाधान उपयुक्त रूप से इसमें ऊपर कर दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को संगत सीमा तक और अन्य स्थान पर उनका समाधान नहीं किए जाने तक, की जांच इसमें नीचे की गई है।
113. घरेलू उद्योग का उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार निजी स्रोत से आयात आंकड़ों और इन जांच परिणामों में यथा-विचारित डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों में अंतर के संबंध में अनुरोध का जहां तक प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए प्रशुल्क शीर्षों के लिए डीजीसीआईएंडएस से आयात आंकड़ों की मांग की। डीजीसीआईएंडएस आयात डेटा को अलग किया गया था और पीयूसी और गैर-पीयूसी से संबंधित वर्गीकरण मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग से मदद मांगी गई थी। डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के बीच आयात विवरण और इस याचिका में आयात विवरण में अंतर पर चर्चा जांच की शुरुआत के चरण में घरेलू उद्योग के साथ की गई थी। किसी भी प्रकार की कोई चिंता घरेलू उद्योग द्वारा जांच के दौरान किसी भी समय व्यक्त नहीं की गई थी। इस कारण से, आयात की मात्रा के संबंध में, प्रकटन पश्चात टिप्पणियों के बारे में घरेलू उद्योग के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

114. घरेलू उद्योग ने उत्पादक/निर्यातक की कम कीमत के संबंध में अथवा यह कि सहयोगी निर्यातक ने अपने निर्यातों का विवरण निष्ठापूर्वक नहीं सूचित किया, के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। जहां तक घरेलू उद्योग और समर्थकों का इस अनुरोध का प्रश्न है कि सहयोगी निर्यातक सहित चीन के निर्यातक "प्रदत्त शुल्क" अथवा "प्रदायगी आधार" पर भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, यह नोट किया जाता है कि उक्त पक्षकारों ने अपने अनुरोधों को प्रमाणित करते हुए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस आशय का कोई साक्ष्य नहीं होने पर, प्राधिकारी इस आशय का कोई निर्धारण करने की स्थिति में नहीं हैं।
115. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि सहयोगी निर्यातक का तीसरे देश को निर्यात के संबंध में संभावना की जांच को एशिया-पैसिफिक क्षेत्र की तुलना में देखा जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों का क्षेत्र विशिष्ट विश्लेषण करने का कोई आधार नहीं है।
116. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि संदर्भ कीमत आधारित शुल्क वर्तमान मामले में उपलब्ध नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में मूल जांच के समय से वर्ष दर वर्ष आधार पर बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। उत्पाद की कीमतों के उतार-चढ़ाव पर विचार करते हुए, प्राधिकारी इसे उपयुक्त मानते हैं कि वे निर्धारित मात्रा के आधार पर शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश करें।
117. जहां तक मौजूदा शुल्कों में संशोधन या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के संबंध में इच्छुक पक्षों की प्रस्तुति का संबंध है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स की जांच करने के बाद जहां घरेलू उद्योग का प्रदर्शन इष्टतम स्तर से नीचे बना हुआ है, और और डंपिंग और नुकसान की निरंतरता / पुनरावृत्ति की संभावना है, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना उचित समझा जाता है।
118. शुल्कों में वृद्धि के लिए समर्थकों से अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में शुल्कों की वृद्धि के लिए कोई आधार नहीं है।
119. एनआईपी और सीएनवी के निर्धारण के लिए आधार के संबंध में निर्यातक के इस अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईपी और सीएनवी का निर्धारण प्राधिकारी की मानक कार्य-पद्धति और इस नियमावली के अनुबंध III और अनुबंध I के आधार पर की गई है।
120. निर्यातक के इस अनुरोध के संबंध में कि पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है और शुल्कों को जारी रखना जनहित में नहीं होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संगत जांच पहले ही इन जांच परिणामों के उपयुक्त भाग में किया जा चुका है।
121. देश में मांग आपूर्ति में अंतर के संबंध में निर्यातक के अनुरोध के बारे में, प्राधिकारी ने पहले ही नोट कर लिया है कि देश में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उत्पादकों की क्षमता में देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग बहुत अधिक है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ठ1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

122. उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- भारतीय अर्थव्यवस्था सहित विश्व अर्थव्यवस्था वर्तमान में कोविड-19 की महामारी के कारण खराब स्थिति में है। इसके अलावा, राष्ट्र का पूरा मिशन सौर ऊर्जा जैसी वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा तक सस्ती पहुंच की दिशा में तैयार है।
- बढ़े हुए शुल्क बोझ की प्रतिकूल परिस्थितियों में, पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय बाजार में विषय वस्तुओं की लागत अलाभकारी और बोझिल हो जाएगी।

ठ2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

123. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- iii. घरेलू उद्योग ने अंतिम उपयोगकर्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को निर्धारित किया है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण		मात्रा	मॉड्यूल 540 WP
ईवा शीट्स	क.	कि.ग्रा.	***
ईवा शीट्स का बिक्री मूल्य (एडीडी लगाने से पहले)	ख.	रु	***
सौर मॉड्यूल मूल्य का मूल्य	ग	रु	***
अन्य घटकों (जंक्शन बॉक्स, इन्वर्टर, बैटरी केबल, माउंटिंग स्ट्रक्चर, एलटी पैनल, सिस्टम इंस्टॉलेशन, सिविल वर्क, माउंटिंग किट आदि)	घ.	रु	***
स्थापना के कुल मूल्य की लागत	ड.= ग + घ.	रु	***
ईवा शीट्स की लागत तिष्ठान के कुल मूल्य के % के रूप में	च.= ख./ ड	%	***%
एडीडी की मात्रा 20% पर	छ.= ख *20%	रु	***
अंतिम ग्राहक पर एडीडी स्थापना के मूल्य की तुलना में है।	ज.= ज./ ड.	%	***%
अंतिम ग्राहक पर एडीडी प्रभाव, भूमि के मूल्य को ध्यान में रखते हुए	झ.	%	0.005-0.0005

- iv. इच्छुक पक्षों के दावे कि शुल्क लगाने से सौर उद्योग और देश में सौर ऊर्जा की उपलब्धता काफी हद तक प्रभावित होगी, निराधार हैं, जबकि किसी भी इच्छुक पक्ष ने उपयोगकर्ता उद्योग पर संभावित प्रभाव के संबंध में कोई सार्थक प्रस्तुति नहीं दी, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मॉड्यूल निर्माताओं पर शुल्कों का प्रभाव बहुत कम होगा। इसके अलावा, किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा कोई डेटा जानकारी या सबूत दायर नहीं किया गया है जो यह स्थापित करता है या यहां तक कि यह सुझाव देता है कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से उपयोगकर्ता उद्योग पर कोई गंभीर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर, कोई भी इच्छुक पक्ष अपने आवेदन में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रभाव विश्लेषण को दूषित करने में सक्षम नहीं है जो स्पष्ट रूप से अंतिम उपयोगकर्ता पर कर्तव्यों का लगभग कोई प्रभाव स्थापित नहीं करता है।
- v. विषय वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण ने उद्योग को न केवल खुद को स्थापित करने में मदद की है, बल्कि देश में बढ़ती मांग के अनुरूप भी विकास किया है। शुल्क लगाए जाने से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय निवेश हुआ है। देश में विषय वस्तुओं के उत्पादन की मौजूदा क्षमता लगभग सात गुना बढ़ गई है। इसके अलावा, पिछले वर्षों में इस क्षेत्र में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सात नए उत्पादकों ने देश में विषय वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री करने के लिए दुकान स्थापित की है। समग्र रूप से उद्योग ने देश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता का निर्माण किया है। यह भी सच है कि इनमें से कई नई क्षमताएं हाल ही में सामने आई हैं और इसलिए इन सभी नए निवेशों को सहायता देना नितांत आवश्यक है।
- vi. चूंकि यह निर्विवाद है कि पीओआई के दौरान विषय वस्तुओं की पाटन में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए शुल्कों को जारी न रखना इस क्षेत्र में नए निवेश के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। शुल्क लगाए जाने से सही मायने में उद्योग आत्मनिर्भर या 'आत्मनिर्भर' हुआ है। जैसा कि पहले कहा गया है, यदि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर शुल्कों को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो यह इस क्षेत्र में मौजूदा, स्थापित और साथ ही नए आने वाले उद्योगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

ठ3. प्राधिकारी द्वारा जांच

124. प्राधिकारी ने नोट किया है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्य रूप से पाटनरोधी अनुचित व्यापार पद्धतियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबंधित देश से आयात पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

125. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क के निरंतर लागू होने से विषय वस्तुओं का उपयोग करके निर्मित उत्पाद के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धा पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 20% पाटनरोधी शुल्क लगाने के मामले में लगभग ***% की सीमा में होगा। यदि भूमि के मूल्य को भी ध्यान में रखा जाता है, तो प्रभाव 0.005% - 0.0005% की सीमा में और भी कम होगा।
126. प्राधिकारी ने नोट किया है कि देश में विषय वस्तुओं के विभिन्न उत्पादकों द्वारा एक महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि हुई है। मौजूदा कर्तव्यों ने नए उत्पादकों को विषय वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए नई सुविधाओं के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया है। चीन से डंप किए गए आयात से मौजूदा उत्पादकों के साथ-साथ इन नए उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो गया है।
127. प्राधिकारी ने नोट किया है कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय के निरंतर लागू होने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को निरंतर लागू करने से पाटनर प्रथाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को दूर किया जा सकेगा, घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट को रोका जा सकेगा और विषय वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
128. प्राधिकारी इस तथ्य पर भी ध्यान देते हैं कि जबकि मूल जांच में चीन, मलेशिया, थाईलैंड और सऊदी अरब से आयात पर शुल्क लगाए गए थे, निरंतर लगाए जाने के लिए वर्तमान जांच केवल चीन से आयात के खिलाफ है। इस प्रकार, देश में विषय वस्तुओं के उपयोगकर्ताओं के लिए पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हैं।

ड. निष्कर्ष एवं सिफारिश

129. दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना, किए गए अनुरोधों और इन जांच परिणामों में रिकॉर्ड किए गए अनुसार, प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए तथा मौजूदा शुल्क को समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना एवं पाटन और क्षति के निर्धारण के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:
- क. आवेदक घरेलू उत्पादक इस नियमावली के नियम 2(ख) के अन्तर्गत घरेलू उद्योग है और उनके द्वारा दायर किया गया आवेदन इस नियमावली के नियम 5(3) के संबंध में आधार के मानदंड को पूरा करता है।
- ख. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में, चीन के तीन निर्यातकों नामतः मैसर्स चांगझोऊ बेटर सेंचुरी फिल्म टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड, हांगझोऊ फर्स्ट एप्लाइड मैटिरियल कंपनी लिमिटेड/मैसर्स सुझोऊ फर्स्ट पी वी मैटिरियल कंपनी लिमिटेड, और चांगझोऊ सवेक पीवी न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड ने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है। हालांकि, वर्तमान जांच में केवल एक उत्पादक मैसर्स चांगझोऊ सवेक पीवी न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड ने इस जांच में भाग लिया।
- ग. विचाराधीन उत्पाद का भारत को सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर निर्यात किया जाना जारी है जिसके फलस्वरूप संबद्ध वस्तुओं का पाटन होता है।
- घ. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है। तथापि, रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों/साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि शुल्क समाप्त होने की स्थिति में डंप किए गए आयातों के भारतीय बाजार में अधिक तीव्रता के साथ प्रवेश करने की संभावना है।
- ड. प्राधिकरण सहकारी निर्यातक के तीसरे देश के निर्यात पर भी ध्यान देता है कि उक्त निर्यातक के तीसरे देशों को निर्यात का महत्वपूर्ण हिस्सा डंप और हानिकारक कीमतों पर है। तथापि, चूंकि सहकारी निर्यातक से आयात का हिस्सा संबंधित देश से भारत में कुल आयात ों का केवल लगभग 7% है, इसलिए इस बात की अत्यधिक संभावना है कि अन्य चीनी निर्यातकों के आंकड़ों की जांच से यह संकेत मिलता है कि चीन से बाहर डंप किए गए और हानिकारक मूल्यों पर और भी अधिक मात्रा में निर्यात किया जा रहा है जो भारत में आयात में और वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।
- च. चीन के निर्यातकों के पास काफी मात्रा में अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य स्पष्ट रूप से संसूचित करते हैं कि चीन के ईवीए बाजार में “अत्यधिक आपूर्ति की अधिक संभावना” है। उक्त रिपोर्ट यह भी पूर्वाभास कराती है कि “चीन का ईवीए उद्योग अगले पांच वर्षों में मूल रूप से स्पार्ट

रहेगा"। एकमात्र सहयोगी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई प्रश्नावली भी क्षमताओं, उत्पादन और मालसूची में बहुत अधिक वृद्धि दर्शाते हैं।

- छ.. इस बात को संसूचित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि इस चरण में चीन जन.गण. के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क को रद्द करने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और पाटन के और बढ़ने और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचने की संभावना है।
- ज. जबकि यह शुल्क चीन, मलेशिया, थाइलैंड और सऊदी अरब से आयात के विरुद्ध लागू हैं, घरेलू उद्योग ने केवल चीन के विरुद्ध शुल्कों को जारी रखने का अनुरोध किया है। इस प्रकार, मलेशिया, थाइलैंड और साऊदी अरब के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखा जाना है।
- झ.. यह नोट किया जाता है कि शुल्कों को लगाए जाने के बाद, अनेक नए उत्पादकों ने देश में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करना आरंभ कर दिया है। संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने की भारतीय क्षमता में 400% से अधिक वृद्धि हुई है, जो स्पष्ट रूप से पाटनरोधी शुल्कों के लाभकारक प्रभावों को संसूचित करता है।
- ञ. 5 वर्षों की अतिरिक्त वृद्धि के लिए शुल्कों को जारी रखना संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों को समान अवसर प्रदान करेगा।
130. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, पाटन और क्षति की संभावना तथा कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए समुचित अवसर दिया गया था।
131. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने देने की स्थिति में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध, पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं पर सकारात्मक साक्ष्य है, प्राधिकारी का यह विचार है कि शुल्क को जारी रखना चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं पर अपेक्षित है।
132. इन परिस्थितियों में, निर्दिष्ट प्राधिकारी चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों की मात्रा को जारी रखने की सिफारिश करने के लिए इसे उपयुक्त मानते हैं। असहयोगी उत्पादक/निर्यातक नीचे दी गई शुल्क तालिका के पंक्ति संख्या 2 में दर्शाई गई "कोई अन्य" पंक्ति में निर्दिष्ट पाटनरोधी शुल्क की मात्रा लागू की जाएगी, जो मूल जांच में अंतिम निष्कर्षों और तदनुरूपी सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार किसी भी अन्य दर के समान है। इस कारण से, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 6 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से नीचे दी गई तालिका और उसके अन्तर्गत फुटनोट के साथ कॉलम 3 में दिए गए विवरण के अनुसार लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप शीर्ष अथवा टैरिफ मद*	वस्तु का विवरण	मूलता का देश/निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	यूनिट
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3920 1011, 3920 1019, 3920 1099,	सोलर माड्यूल के लिए एथीलीन विनाइल एसिटेट (ईवीए)	चीन जन.गण.	चांगझोऊ सवेक फोटोवोलटाइक न्यू मैटिरियल कं. लि.	590	यूएसडॉ.	एमटी
2	3920 6190, 3920 6290, 3920 9919, 3920 9939, 3920 9999, 3920 9099.		चीन जन.गण.	कोई अन्य	897	यूएसडॉ.	एमटी

*सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संसूचक है और शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

ढ. आगे की प्रक्रिया

133. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 28th December, 2023

AD (SSR) Case No. - 06/2023

Subject: Sunset review investigation of anti-dumping duty on imports of “Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module” from China PR.

A. BACKGROUND OF THE CASE

- F. No. 7/12/2023-DGTR.**—M/s RenewSys India Pvt. Ltd. (hereinafter also referred to as “petitioner” or “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules) for sunset review of anti-dumping investigation concerning the imports of “**Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module**” (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration”), originating in or exported from China (hereinafter referred to as the “subject country”).
- The applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating and exported from the subject country, and consequent injury to the domestic industry and has requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
- Section 9A(5) of the Act, *inter alia*, provides that anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
- Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

“...any definitive anti-dumping duty levied under the Act shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”
- Based on the duly substantiated application with *prima facie* evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated the sunset review investigation vide Notification No. 7/12/2023-DGTR dated 20th September, 2023 and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and whether there is a need for continued imposition of antidumping duty in respect of the subject goods originating in or exported from China.

6. Earlier, the Authority initiated an antidumping investigation in respect of imports of the subject goods from China, Malaysia, Thailand, South Korea and Saudi Arabia on 04.04.2018, and after conducting the investigation recommended imposition of definite duty against imports from China, Malaysia, Thailand and Saudi Arabia vide Final Findings Notification No. 06/9/2018-DGAD dated 21.02.2019. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 15/2019 – Customs (ADD) dated 29.03.2018.
7. The domestic industry, in its application stated that post imposition of duties, the imports from other countries subject to anti-dumping duty, i.e., Malaysia, Thailand and Saudi Arabia has significantly declined, with no imports in the POI or the year preceding the POI. They stated that the under the current circumstances, there is no likelihood of dumping or injury from the said countries. Thus, the domestic industry only requested for continuation of duties against China PR.
8. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigation concerning the subject goods issued vide final finding No. 06/9/2018-DGAD dated 21.02.2019, which were implemented vide Customs Notification No. 15/2019 – Customs (ADD) dated 29.03.2018 subject to the fact that the present investigation is limited to imports of the subject goods from China PR.

B. PROCEDURE

9. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - i. The Designated Authority, under the above Rules, received a written application from the applicant on behalf of the domestic industry, requesting sunset review of the anti-dumping duties earlier imposed and alleging continued dumping of “Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module”, originating in or exported from China PR.
 - ii. The Authority notified the embassy of China in India about the receipt of the sunset review of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 *supra*.
 - iii. The Authority issued a public notice dated 20th September, 2023 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.
 - v. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of China in India, known producers/exporters from China and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 30 days of the initiation notification.
 - vi. The Authority sent exporter’s questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in China, (whose details were made available by the applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.

SN	Details of producers from the Exporting Country
1	Hangzhou First Applied Material Co Limited
2	Changzhou Sveck Photovoltaic New Material Co Limited
3	Cybrid (Zhejiang) Technologies Inc.
4	Cybrid Technologies Inc.
5	Eversola Holding Co., Ltd
6	Toyota Daihatsu Engineering And Manufacturing Co
7	Changzhou Bbetter International Trading Co Limited
8	Tianjin Caida New Materials Technol
9	First Material Science Thailand Co Limited
10	Jiangsu Lushan New Materials
11	Ever Thriving New Energy Technology Co Limited
12	Changzhou Fufeng Material Technology Co Limited

- vii. Only Changzhou Sveck Photovoltaic New Material Co Limited has filed their Questionnaire responses in the above matter.

viii. The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the following known importers/users/user associations (whose names and addresses were made available to the Authority) of the subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):

SN	Name of Importers
1	Aditya Clean Energy Systems Private Limited
2	Agrawal Renewable Energy Private Limited
3	Alpex Solar Private Limited
4	Ankur Traders And Engineers Private Limited
5	Australian Premium Solar India Private Limited
6	Bhagyanagar Energy And Telecom Private Limited
7	Bharat Electronics Limited
8	Bharat Heavy Electricals Limited
9	Central Electronics Limited
10	Citizen Solar Private Limited
11	Contendre Greenergy Private Limited
12	Cosmic Pv Power Private Limited
13	Credence Solar Panels Private Limited
14	Ecosi Energy Private Limited
15	Emmvee Photovoltaic Power Private Limited
16	Enkay Solar Power And Infrastructure Private Limited
17	Gautam Solar Private Limited
18	Genus Power Infrastructures Limited
19	Goldi Solar Private Limited
20	Goldi Sun Private Limited
21	Greenbrilliance Energy Private Limited
22	Har Solar Private Limited 1398
23	Harikrupa Solar And Engineering
24	Hbl Power Systems Limited
25	Himalayan Solar Private Limited
26	Hr Solar Solution Private Limited
27	Icon Solar En Power Technologies Private Limited
28	Indarka Energy Private Limited
29	Insolation Energy Private Limited
30	Integrated Batteries India Private Limited
31	Jain Irrigation Systems Limited
32	Jakson Engineers Limited
33	Jp Solar
34	Jyotitech Solar Llp
35	Kosol Energie Private Limited
36	Kratus Solar Solutions Private Limited
37	Lubi Electronics
38	M/S Ganesh Electricals Pvt. Ltd
39	M/S ITI Limited
40	M/S Urjastrot Enterprise Pvt Ltd

SN	Name of Importers
41	M/S. Aatmanirbhar Solar Pvt. Ltd.
42	M/S. Abhishek Solar Industries Pvt. Ltd
43	M/S. Ameya Solar & Semiconductor Pvt. Ltd
44	M/S. Bluebird Solar Pvt. Ltd
45	M/S. ECE (India) Energies Pvt. Ltd.
46	M/S. Fujiyama Power Systems Private Limited
47	M/S. Genus Innovation Limited
48	M/S. Innovative Solar Solutions
49	M/S. JJ PV Solar Pvt. Ltd
50	M/S. Nyalkaran Energy LLP
51	M/S. Raajratna Ventures Limited
52	M/S. Rajasthan Electronics And Instruments Limited (REIL)
53	M/S. Renewsys India Pvt. Ltd
54	M/S. SASA Energy LLP
55	M/S. Shanti Solar
56	M/S. Shivam Photovoltaics Private Limited
57	M/S. SUNBOND Energy Pvt. Ltd.
58	M/S. Sunfield Energy Private Ltd
59	M/S. Sunify Solar LLP
60	M/S. Suryakamal Energy Pvt. Ltd
61	M/S. The Wolt Techniques
62	M/S. Unique Sun Power LLP
63	Maglare Technologies Private Limited
64	Mehar Solar Technology Private Limited
65	Ms Renewsys India Private Limited
66	Mundra Solar Energy Limited
67	Mundra Solar Private Limited
68	Mundra Solar Pv Limitedahmedabad
69	Navitas Alpha Renewables Private Limited
70	Navitas Green Solutions Private Limited
71	Neety Euro Asia Solar Energ
72	Neety Euro Asia Solar Energy
73	Neosol Technologies Private Limited
74	Novasys Greenergy Private Limited
75	Novus Green Energy Systems Limited
76	Orb Energy Private Limited
77	Pahal Solar
78	Patanjali Renewable Energy Private Limited
79	Pennar Industries Limited
80	Perfectenergy C
81	Pixon Green Energy Private Limited
82	Plaza Power And Infrastructure C
83	Premier Energies Limited
84	Premier Energies Photovoltaic Private Limited

SN	Name of Importers
85	Premier Solar Systems Private Limited
86	Pv Power Technologies Private Limited
87	Radical Solar Private Limited
88	Rayzon Green Energie
89	Rayzon Green Energies
90	Redren Energy Private Limited
91	Renew Solar Energy (Jharkhand One) Private Limited
92	Renew Solar Energy Jharkhand One Private Limited
93	Renewables And Energy Conservatio
94	Renewsys India Private Limited
95	Ritika Systems Pvt. Ltd.
96	Rrg Energies Private Limited
97	Saatvik Green Energy Private Limited
98	Sael Solar Mfg Private Limited
99	Sahaj Solar Private Limited
100	Sanelite Solar Private Limited
101	Shivalik Green Energy Private Limited
102	Sirius Solar Energy Systems Private Limited
103	Solarium Green Energy Llp.
104	Solex Energy Limited
105	Sova Solar Limited
106	Spark Solar Technologies Llp
107	Spark Solar Technologies Private Limited
108	Sri Savitr Solar Private Limited
109	Sun N Sand Exim India Private Limited
110	Sunfuel Technologies Llp
111	Sunlong Energy Private Limited
112	Surana Solar Limited
113	Swelect Energy Systems Limited
114	Tata Power Solar Systems Limited
115	Topsun Energy Limited
116	Torios Solar
117	Udhaya Energy Photovoltaics Private Limited
118	Ujjaval Solar Power
119	Vedansh Infraenergy Private Limited
120	Vikram Solar Limited
121	Vikram Solar Limitedkolkata
122	Vikram Solar Private Limited
123	Vishakha Solar Films Private Limitedahmedabad
124	Waaree Energies Limited
125	Waaree Energies Ltdmumbai
126	Waaree Renewables Private Limited
127	Websol Energy System Ltd.
128	Zonje Solar Llp

- ix. None of the importers/users/user associations filed their questionnaire response in the matter. Only Waaree Energies Limited filed its post hearing submissions/representations.
- x. The Authority requested the interested parties to exchange non-confidential version of the evidence presented by them with other interested parties as per Rule 6 (7). The list of interested parties was uploaded on the website of the directorate.
- xi. The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xii. The period of investigation for the purpose of present investigation is from April 2022 to March 2023 (12 months). However, the injury investigation period will cover the data of previous three years, i.e., Apr 2019 – Mar 2020, Apr 2020- Mar 2021, Apr 2021 – Mar 2022 and POI.
- xiii. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry and other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xiv. Non-injurious price has to be determined based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xv. Transaction wise data was called from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) for determination of volume and value of imports of the product concerned in India and the same has been considered by the Authority.
- xvi. The Authority held an oral hearing on 16th November, 2023 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance with Rule 6 (6). The interested parties who presented their views orally at the time of oral hearing were asked to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were provided opportunity to offer rejoinder submissions to the views expressed by other interested parties. The submissions made therein have been duly considered and addressed appropriately.
- xvii. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which forms the basis of the present final finding was issued to the interested parties on 21st December 2023. The post disclosure statement submissions received from the domestic industry and other interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification.
- xviii. Exporters, producers and other interested parties who have neither responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties.
- xix. ***in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xx. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation for POI is 1 US\$ = Rs. 81.15.

A.1 C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

10. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original investigation which is as follows:

“Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module”. It is the polymer-based component used in the manufacturing of solar PV (Photo Voltaic) modules. EVA sheet is used for encapsulation of solar PV cells performing adhesion and cushioning functions. This is one of the most essential component which keeps glass, cell and backsheets integrated and support the module mechanically during its service life time.”

11. The EVA sheet falls in the category of plastic sheets and films made using extrusion technology. It is a thermoplastic material, a copolymer of polyethylene, polymerized using a tubular or autoclave process mainly. The product under consideration is imported under HS codes 3920 1011, 3920 1019, 3920 1099, 3920 6190, 3920 6290, 3920 9919, 3920 9939, 3920 9999, 3920 9099. The HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

C1. Submissions by other interested parties

12. None of the interested parties made any submission relevant for determination of the product under consideration and like article.

C3. Submissions by domestic industry


13. The submissions made by domestic industry are as follows:

- a. The present investigation being a sunset review investigation, the product under consideration remains same as defined in the previously conducted investigation.
- b. It is a settled law that the product under consideration, ordinarily, cannot be changed in a sunset review investigation.
- c. There is nothing on record which may even indicate any quality issue with the products supplied by the domestic producers.
- d. In terms of settled provisions of law and WTO precedents, it is the party leading an argument who bears the burden of proof of establishing the correctness of the argument so advanced. However, the importer has miserably failed to provide any evidence to substantiate its contention regarding the product under consideration.
- e. According to the domestic industry, there is no difference in the subject goods produced by them and that imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods.

C3. Examination by the Authority

14. The product under consideration determined by the Authority in the original investigation is as follows:

“Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module”. It is the polymer based component used in the manufacturing of solar PV (Photo Voltaic) modules. EVA sheet is used for encapsulation of solar PV cells performing adhesion and cushioning functions. This is one of the most essential component which keeps glass, cell and backsheet integrated and support the module mechanically during its service life time.”



15. The EVA sheet falls in the category of plastic sheets and films made using extrusion technology. It is a thermoplastic material, a copolymer of polyethylene, polymerized using a tubular or autoclave process mainly. The subject goods are used as a component in solar photovoltaic panels and solar thermal applications. The product under consideration is imported under HS codes 33920 1011, 3920 1019, 3920 1099, 3920 6190, 3920 6290, 3920 9919, 3920 9939, 3920 9999, 3920 9099. The HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

16. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

17. Therefore, after considering the information on record, the Authority holds the product under consideration is the same as defined in the original investigation as well as the initiation notification. The Authority further holds that there is no material difference in product under consideration exported from the subject country and the product produced by the Indian industry. The product under consideration produced by the domestic industry is comparable to the imported subject product in terms of physical characteristics, production technology &

manufacturing process, functions & uses, product specifications, distribution & marketing. The two are technically and commercially substitutable.

18. The Authority holds that the product manufactured by the domestic industry and the subject goods imported into India from the subject country are like articles within the meaning of the anti-dumping rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D1. Submissions by other interested parties

19. The submissions made by the producers/exporters/other interested parties are as follows:
- i The standing of the applicant as domestic industry is in itself incorrect and the initiation of the present investigation without thorough verification is incorrect in law.
 - ii The capacity and production data provided for the other producers clearly suggests that with extremely high production and capacity, specifically in the POI and recent years, other domestic producers are manufacturing a significant portion of the total production in India. However, the applicant appears to have selectively reported capacity and production in a manner to only include the applicant as the domestic industry and not the other producers. Hence, the same ought to be verified by the Hon'ble Designated Authority and is likely to lead to the conclusion that the applicant is less than 25% of the total domestic production in India and do not constitute a 'major proportion' of the domestic production in India. This clearly establishes that that the claim of the applicant is erroneous, misleading and incorrect.

D2. Submissions by domestic industry

20. The submissions made by the domestic industry are as follows:
- i. The application for the continued imposition of anti-dumping duty has been filed by M/s RenewSys Renewable Pvt. Ltd. and supported by M/s Vishakha Renewables Pvt. Ltd., Navitas Alpha Renewables Pvt. Ltd., Alishan Greem Energy Pvt. Ltd., Enerlite Solar Films India Private Limited, Filmtec Solar Private Limited, Pixon Greem Energy Private Limited, and ECAP Greentec Pvt. Ltd.
 - ii. The production of the applicant constitutes "a major proportion" of total Indian production in terms of the rules. In addition, the production of the applicant and supporters have significant majority in the total Indian Production.
 - iii. The applicant has not imported the subject goods from subject country during the POI. The applicant is not related (either directly or indirectly) to any exporter or importer of product under consideration in the subject country. Thus, the applicant is eligible domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules.
 - iv. The standing requirement contained in Rule 5(3) are not even applicable on sunset review proceedings. Rule 5 is not applicable vis-à-vis sunset review proceedings. Kind attention of the Authority is invited to Rule 23(3) which states as under:

"(3) The provisions of rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case of review."
 - v. The reliance placed by the importer on WTO findings of *Russia – Commercial Vehicles* and *EC – Fasteners (China)* also do not have any merit since there is no exclusion of any domestic producer in the present case. Unlike those cases, where a particular domestic producer was specifically excluded from the investigation, the relevant and necessary data of all domestic producers is on record in the present case. In fact, the production figures used in the application to compute standing are taken from the support letters of such domestic producers. In such a situation, there cannot be any apprehension regarding the correctness of the production data of the domestic producers or the standing of the applicant.

D3. Examination by the Authority

21. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

"(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

22. The application in the present case has been filed by M/s RenewSys Renewable Pvt. Ltd. and supported by M/s Vishakha Renewables Pvt. Ltd., Navitas Alpha Renewables Pvt. Ltd., Alishan Greem Energy Pvt. Ltd., Enerlite

Solar Films India Private Limited, Filmtec Solar Private Limited, Pixon Greem Energy Private Limited, and ECAP Greentec Pvt. Ltd.

23. As regards the submission of the importer that the domestic industry has selectively reported the capacity and production data to affect the standing, the Authority notes that the total Indian production has been computed after taking into account the production reported by the supporters in their support letter and estimated production of other Indian producers. The Authority notes that none of the interested party has submitted any information to dispute the standing of the domestic industry.
24. On the basis of the evidences on record, the Authority notes that the production of the applicant constitutes around 35% of the Indian production. Accordingly, the Authority holds that that the applicant satisfied the requirement of standing under Rule 5(3) and constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

E. CONFIDENTIALITY

E1. Submissions by other interested parties

25. The various submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties during the course of the present investigation with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are as follows:
- i. The petition suffers from excessive confidentiality. The petition provides absolutely no information with respect to volume related information also.
 - ii. The domestic industry has claimed and has been allowed excessive confidentiality in the sense that they have not made available their annual report in the public file.
 - iii. The domestic industry has also not provided sufficient details of their costing.
 - iv. The applicant has not been consistent with respect to claims of confidentiality when compared to the standards of disclosure adopted in the original investigation.

E2. Submissions by the domestic industry

26. The submissions made by domestic industry are as follows:
- i. The petitioner has claimed only such information as confidential, the confidentiality of which has been permitted under the rules and as per consistent practice of the Authority.
 - ii. The petitioner has provided sufficient non-confidential version of the application. None of the interested party has been able to point out any specific instance of information which has been claimed confidential and confidentiality of which is not justified under the rules.
 - iii. The opposing parties have not been able to point out a single instance of deviation from the law/trade notice, let alone any material lapse by the domestic industry.
 - iv. The exporter in the present case has not filed its questionnaire response in terms of Trade Notice No. 10/2018. Most of the information required in the Trade Notice is either not been given by the exporter or is not as per the Trade Notice.
 - v. That the responding exporter has failed to fulfill their obligations under the Indian law by not providing the meaningful summary of the response to exporters' questionnaire. It is further submitted that they have kept all the volume related information confidential. Further, the responses are in stark violation of the specific guidelines issued by the Designated Authority with regard to the procedure to be followed for filing of non-confidential version of the exporter's questionnaire responses. The petitioner also, requested the Hon'ble Designated Authority to disregard the submissions of the interested parties and also to reject the response of exporters and deny them the individual treatment.

E3. Examination by the Authority

27. The Authority requested the interested parties to share the non-confidential version of the information submitted by them with other interested parties as per Rule 6(7).
28. With regard to confidentiality of information Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information”

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

(3) *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

29. The WTO Agreement on Anti-Dumping provides as follows with regard to confidentiality of information-

“Article-6.5 Any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it.

Article-6.5.1 The authorities shall require interested parties providing confidential information to furnish non-confidential summaries thereof. These summaries shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. In exceptional circumstances, such parties may indicate that such information is not susceptible of summary. In such exceptional circumstances, a statement of the reasons why summarization is not possible must be provided.

Article-6.5.2 If the authorities find that a request for confidentiality is not warranted and if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the authorities may disregard such information unless it can be demonstrated to their satisfaction from appropriate sources that the information is correct.

Footnote to Article 6.5.2 (footnote 18 of the WTO Agreement on Anti-Dumping) provides as follows—Members agree that requests for confidentiality should not be arbitrarily rejected.”

30. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences / information's / submissions submitted by various interested parties in the form of public file.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F1. Submissions by other interested parties

31. The submissions made by the other interested parties are as follows:

- i. That the application filed by the domestic industry is not in the form and manner prescribed by the Authority. Further, the Authority has not evaluated the petition properly in terms of Article 5.3 of the WTO Anti-Dumping Agreement read with Rule 5(3) of the AD Rules and therefore, the investigation needs to be terminated.
- ii. Supporting companies are not eligible supporters as per Trade Notice No. 13/2018 and 14/2018 as they have not filed information as required under the said Trade Notices.
- iii. In the present scenario, imposition of duty on a fixed basis is not only unjustified but also unfair and unduly burdensome. It is an admitted position that the domestic industry cannot cater to the demand in the country and the demand of the product for down-stream manufacturers, which are making valuable contributions in 'Aatmanirbhar Bharat' is increasing. The injury, if any, is restricted to the extent of the capacity of the domestic industry and as a fixed duty impacts such import quantities which are higher than the capacity of the domestic industry it unfairly imposes anti-dumping duties on products which do not compete with the domestic industry and provides arbitrary and unfair protection to the domestic industry.
- iv. That the certain information provided by the domestic industry in the narrative part of the petition is inconsistent with the Proforma IVA enclosed with the petition. Further, interested parties requested the Authority to recheck the numbers and call domestic industry to provide correct numbers.

- v. The domestic industry is not able to meet the strict quantitative and quality parameters of the user industry and therefore, users are compelled to import specialized grades which are not adequately supplied by the domestic industry.

F2. Submissions by the domestic industry

32. The submissions made by the domestic industry are as follows:

- i. The domestic industry has only received the questionnaire response by one party namely M/s Changzhou Sveck Photovoltaic New Material Co., Ltd. This is despite the specific direction of the Authority through email dated 15.11.2023 directed towards interested parties, directing them to share their submissions/responses with the domestic industry. In the absence of any response by interested parties, the domestic industry presumes that no other party has filed any submission/responses. In the event any such submission/response has been received, the same cannot be taken on record since they have not been shared with the domestic industry in accordance with the prescribed procedure.
- ii. The only participating importer, M/s Waree Energies Ltd., has not filed their questionnaire response. Subsequent to a preliminary objection raised by us, during the hearing on 16.11.2023, the said importer stated that they were not able to file the questionnaire response because of certain pressing concerns of the company. This is not acceptable. Moreover, the conduct of the said importer clearly demonstrates that they are neither serious about the investigation process nor towards the sanctity of the rules and the procedures prescribed by the Authority.
- iii. The importer has filed their written submissions after the deadline provided by the Authority. This further proves their scant regard for the investigation process or the dignity of the office of the DGTR.
- iv. As regards the submission made by the importer regarding the change in the form of duty, the domestic industry submits that the only reason given by the importer for such a request is alleged demand-supply gap in the country. However, the facts on record clearly establish that there is no demand-supply gap in the country. In fact, the capacities available with the domestic producers exceed the demand of the subject goods in the country. In any case, the importer has not indicated as to how any perceived demand-supply gap can be a good ground for seeking change in the mode of duty.
- v. That the application filed by domestic industry is fully in accordance to the act and rules and also as per the prescribed format. Therefore, the submissions of the interested parties that the application is not as per format needs to be rejected.

F3. Examination by the Authority

33. As regards the submission of the domestic industry about not filing questionnaire response during the investigation, and also not filing written/legal submissions within time, the Authority notes that no questionnaire response has been filed by importer before Authority. However, legal submissions submitted by the importer have been examined by the Authority.
34. As regards the submission that the supporters have not provided information as per Trade Notice No. 13/2018 and 14/2018, the Authority notes that the supporters have provided information in terms of the Trade Notice No. 04.2021 dated 16.04.2021, which lays down the essential information required to be furnished by the supporters. Thus, the information filed by the supporters is in terms of the Trade Notice issued by the Authority and is liable to be accepted.
35. As regards the argument of the responding parties that the petition is deficient and therefore the investigation needs to be terminated, the Authority notes that the present investigation was initiated on the basis of *prima facie* evidence furnished by the domestic industry showing dumping, injury and causal link in accordance with the Act and Rules. The Authority has also called for additional information wherever required, and verified the information furnished by the domestic industry.
36. As regards the issue of there being a demand supply gap in the country, the Authority notes from the evidences on record that the current capacities of the subject goods in the country far exceeds the demand of the subject goods. Thus, the contentions raised in this regard are contrary to facts on record.
37. As regards the request of the importer regarding the change in the form of duty from fixed duty to reference price-based duty, the Authority notes that the said importer has not provided any acceptable reason for such request except for its claim of demand-supply gap in the country. As noted above, there is no demand-supply gap of the subject goods in the country.
38. As regards the submission of the importer regarding the domestic industry not being able to meet qualitative parameters of the specialised grades leading to importers being forced to import such grades, the Authority notes that the importer has not substantiated its submission with any evidence. Only generalised statements have been

made by the importer and even the details of the alleged 'specialised grades' which domestic industry is allegedly not able to supply have not been specified.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G1. Normal Value

39. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

“(c) “normal value”, in relation to an article, means –

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.”

G2. Submissions by other interested parties

40. The other interested parties have submitted as follows with regards to normal value, export price and dumping margin.

- a. Designation of China PR as a Non-Market Economy (NME) is not in accordance with applicable laws and procedures.
- b. The relevant provision in Section 15 of China's accession protocol which allowed for treatment of China PR as an NME has expired on 11th December, 2016. Therefore, there is currently no provision prevailing which allows the Authority to treat China PR as an NME in any investigation.
- c. Even if the Authority determines that China PR is a non-market economy for the purpose of this investigation, the Authority cannot directly resort to calculating the normal value based on the third methodology in Paragraph 7 of Annexure I to the Rules (i.e., *on any other reasonable basis*).
- d. The Authority must first attempt to determine the normal value based on; (i) price or constructed value in a market economy third country, or (ii) the price from such a third country to other countries, including India. Only if it is not possible to determine normal value based on these two methods, it can be determined on any other reasonable basis.
- e. Decision of the Hon'ble Supreme Court of India in the case of Shenyang Matsushita, 2005 (181) ELT 320 (SC) also supports the view that the Authority must proceed to determine normal value on any other reasonable basis only if it has exhausted the first two methods.
- f. There is no reason provided in the petition as to why the Authority cannot calculate the normal value based on the first two methods.
- g. The information provided by the domestic industry regarding the calculation of normal value has been kept entirely confidential, and it is therefore not possible for the respondents to answer any of the claims in that regard.
- h. The dumping margin provided by the domestic industry should not be relied upon without any verification from the Authority.

G3. Submissions by the domestic industry

41. The domestic industry has submitted as follows with regard to the normal value, export price and dumping margin.

- a. China PR should be treated as an NME in accordance with Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules.
- b. Paragraph 8 of Annexure I to the Rules leaves no choice to the Authority but to presume that China is an NME, unless the exporters prove otherwise. Therefore, regardless of the expiry of Section 15(a)(ii) of China's accession protocol, the Authority is bound by Paragraph 8 to presume that China is an NME.
- c. Market economy status is not automatic upon the expiry of Section 15(a)(i), but rather, it would require China's compliance with the other provisions of Section 15 of the Accession Protocol.
- d. The market economy claim of the exporters should not be accepted, as there is significant government intervention in several important sectors of the Chinese economy, warranting the maintenance of non-market economy status of China PR.
- e. Market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules.
- f. The market economy claim of the producers from China PR was rejected on the same basis in several recent investigations.
- g. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the actual purchase prices of major inputs substantially reflect market values.
- h. Market economy treatment must be rejected if Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards.
- i. It is not for the Authority to establish that the responding companies are operating under market economy environment. But it is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.
- j. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group has not filed the response, the claim for market economy status must be rejected.
- k. The normal value in China PR can thus be determined on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit as per the consistent practice of the DGTR.

G4. Examination by the Authority

42. The Authority sent questionnaires to the known producers / exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. Only, the following producer has filed response to the exporter's questionnaire:

- i. Changzhou Sveck Photovoltaic New Material Co., Ltd.

G4.1. Determination of normal value

G4.1.2 Examination of Market Economy Treatment

43. The Authority sent questionnaires to the known producers / exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The Authority notes that none of the producers/exporters have filed a response to the relevant questionnaire to claim market economy treatment.

G4.1.3 Normal value for China PR

44. Article 15 of China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

(b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

(c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

(d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.*

45. The applicant has relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol as well as para 7 of the Annexure I. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
46. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to the supplementary questionnaire the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the Rules.
47. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has to be determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under:
- “In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the Country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”*
48. The Authority notes that under the provisions of para (7) of Annexure I, the normal value may be determined on the basis of price or constructed value in a third country, or the price from such country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.
49. As per paragraph 7 of Annexure I to the Rules, the Authority may move to the third method of determining normal value on any reasonable basis, when it has exhausted the first method, that is, price or constructed value in third country, and second method, that is, price from third country to other countries, including India. However, it is noted that no information/evidence has been provided by the parties for the construction of the normal value on the basis of the first two methods. In the absence of the above information/evidence, it is not

possible for the Authority to determine normal value on the basis of the first or second method. Therefore, the Authority has decided to construct normal value based on the third method, i.e., *on any other reasonable basis including price paid or payable in India*.

50. Thus, the normal value has been considered on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been arrived at considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. The Authority has thus constructed the normal value based on the optimised cost of production, considering prices of major raw materials and other costs paid in India.

G4.2 Determination of export price

G4.2.1 Export price for cooperating exporter/producer

Changzhou Sveck Photovoltaic New Material Co., Ltd.

51. M/s Changzhou Sveck Photovoltaic New Material Co., Ltd. ("Sveck") is a producer of the subject goods in China PR. Sveck has exported the subject goods directly to un-related customers in India.
52. It is noted that during the POI, Sveck has exported *** MT of PUC directly to unrelated customers in India. Sveck has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses and credit cost, which have been allowed by the Authority after due verification. Further, the Authority has also made appropriate adjustment for bank charges. Accordingly, the export price for the subject goods at ex-factory level has been arrived at and shown in the dumping margin table below.

G4.2.2 Export price non-cooperating producers/exporters from China PR

53. The export price for all other producers and exporters that have not participated in the present investigation has been arrived at on the basis of facts available.

G4.3 Determination of Dumping Margin

54. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country is determined as follows:

DUMPING MARGIN TABLE

SN	Name of Producer	Currency/ Unit	CNV	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
1.	Changzhou Sveck Photovoltaic New Material Co., Ltd.	USD/MT	***	***	***	***%	0-10
2.	Non-cooperative / residual exporters	USD/MT	***	***	***	***%	20-30

55. The dumping margin is more than *de-minimis* for all the producers/exporters from China PR.

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

56. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
57. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6,7,8,9,10,11,16,18, 19 and 20 shall apply *mutatis mutandis* in case of a review. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rule 11 and Annexure II of the Rules and has also examined as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

H1. Submissions by other interested parties

58. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury suffered by the domestic industry and the causal link.
- i. Imports from China PR has not caused injury to the domestic industry. Further, any injury to the domestic industry during the POI is because of COVID-19 and other factors and not because of imports from subject country.
 - ii. That the domestic industry has failed to demonstrate that they are suffering injury either price or volume. It is further submitted that the volume and price related parameters shown improvement over the injury investigation period. This shows that domestic industry is doing well and there was no negative impact due to imports from subject country.
 - iii. That the Authority should examine if injury claimed by the domestic industry was solely due to imports or was it due to reasons other than imports from the subject country. If it is concluded that injury was due to other factors, the Authority is requested to terminate the present review.
 - iv. Price undercutting is one of the most important parameters to establish causal relationship between injury caused to the domestic industry by imports from subject country. However, it does not form the basis for determination of injury and shall not be seen in isolation. It has to be seen in light of overall performance of the domestic industry, whether it is resulting in losses.
 - v. The profitability of the petitioner has improved during the period of investigation as compared to the base year 2019-20. It is to be noted that the period 2020-21 and 2021-22 was the abnormal period affected by COVID. Therefore, the unusual performance of the petitioner should not be considered during that period. The comparison must be made as compared to the base year 2019-20 which clearly shows that the performance of the domestic industry has improved significantly. Thus, there is no injury to the domestic industry.
 - vi. That if the domestic industry is suffering from injury (if any), it is on account of other parameters like contraction in demand, decline in exports of the domestic industry and exporters from China cannot be blamed for that.

H2. Submissions by the domestic industry

59. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are reproduced below:
- a. That the landed value of the subject goods from China is substantially lower as compared to the cost and selling price of the domestic industry.
 - b. The positive undercutting clearly indicates the adverse price pressure on the domestic industry.
 - c. The share of imports from China PR in total demand has significantly increased. Due to dumped imports, China has acquired significant market share in demand despite idle capacities with the domestic producers.
 - d. That dumping margins are significantly positive from the data on record, and therefore, there is clear likelihood of ever intensified dumping and increase in the dumped imports of the imported subject goods in India from China in the event of cessation of Anti-dumping duty.
 - e. The domestic industry is still suffering losses because of low price imports from exporters of the subject country. It is further submitted that because of low priced imports, the domestic industry is not recovering its full cost despite its best efforts, the low price import from the subject country has created significant price pressure on the domestic industry.
 - f. The domestic industry has submitted that since causal link has already been established in the original investigation, the Authority is required to examine whether cessation of anti-dumping duty would lead to continuance or recurrence of dumping and injury.
 - g. The Authority would appreciate from the data on record that the imports are already coming at dumped prices which are causing injury to the domestic industry. However, the existing anti-dumping duties are acting as a safety net, protecting the domestic producers from suffering losses. If the existing anti-dumping duties are allowed to expire, the same would lead to causing significant financial damage to the domestic producers to an extent where the domestic producers shall be forced to shut shop on account of non-remunerative imports.
 - h. This situation clearly depicts the price pressure on the domestic industry wherein if they don't produce the subject goods their fixed costs will increase substantially, and their losses would also increase.

H3. Examination by the Authority

60. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure-II of the Anti-Dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products.
61. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, 1975, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension.
62. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has examined the continuation of injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood of dumping and injury on account of imports from the subject country in the event of cessation of anti-dumping duty.
63. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority has to consider all injury parameters and, thereafter, conclude whether injury to the domestic industry continues, or recur, in case the antidumping duty is ceased. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.
64. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority in the succeeding paras *ipso facto* addresses the submissions made by the domestic industry and other interested parties.

H3.1. Volume effect of dumped imports on domestic industry

65. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from the DGCI&S import data.

a. Assessment of Demand / Apparent Consumption

66. Demand has been considered as the sum of domestic sales of all the domestic producers and the imports from all the countries. The apparent demand/consumption of the subject goods shows a positive trend throughout the injury period as can be seen from the table below:

Particulars	UoM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Import from Subject Country (China PR)	MT	8,343	4,805	8,091	10,528
Imports from other countries subject to ADD	MT	417	479	1	-
Imports from other countries	MT	315	946	1,928	2,996
Total Imports	MT	9,075	6,229	10,019	13,525
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Sales of Other Domestic Producers	MT	***	***	***	***
Total Indian Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	149	192
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	131	171
Imports from China in Demand	%	***%	***%	***%	***%

67. The demand of the subject goods has increased throughout the injury investigation period. However, the imports from China as a percentage of total demand has come down, but still remain significant.

b. Import volume from the subject country

68. The effects of the volume of dumped imports from China has been examined by the Authority in the following table:

Particulars	UoM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Imports from China	MT	8,343	4,805	8,091	10,528
Imports from Other Countries	MT	315	946	1,928	2,996

Total Imports	MT	8,658	5,751	10,019	13,525
Sales of the domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	110	127
Sales of other domestic producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	162	204	282
Total Indian sales (Domestic)	MT	9,836	12,035	14,701	18,905
Trend	Indexed	100	122	149	192
Demand of the subject goods in India	MT	18,494	17,786	24,720	32,430
Trend	Indexed	100	96	134	175
Total PUC Production (Applicant)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	113	126
Production – other producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	130	188	310
Total Indian Production	MT	10,057	10,941	14,587	20,639
Trend	Indexed	100	109	145	205
Imports from China in relation to					
Total Indian Production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	53	66	61
Total Indian Consumption / Demand	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	60	73	71

69. It is seen that the volume of dumped imports of the subject goods has decreased in 2020-21, with increase in 2021-22 and significant increase in the POI. The volume of import in relative terms has also seen significant increase. The import volume in relation to total Indian production and the demand/consumption has decreased as compared to the base year but has remained at a substantial level.

H3.2. Price effect of dumped imports on domestic industry

70. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price suppression and price depression, if any.

A. Price Undercutting

71. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from China and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were considered at ex-factory levels.

Particulars	UoM	POI
Landed price of imports (China)	Rs/MT	3,08,112
	(Trend)	179
Net selling price of domestic industry	Rs/MT	***
	(Trend)	186
Price undercutting (China)	Rs/MT	***
	(Trend)	430
Price undercutting (China)	%	***%
	(Trend)	240
Price undercutting (China)	Range	0-10

72. The Authority notes that the landed value of the subject goods from China is significantly below the net sales realization of the domestic industry.

B. Price Suppression and Depression

73. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority considered the changes in the prices and landed value over the injury period.

Particulars	UoM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	167	184
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	135	199	186
Landed Value from Subject Country	Rs/MT	1,71,830	2,69,966	3,29,499	3,08,112
Trend	Indexed	100	157	192	179
Landed value with ADD	RS/MT	2,16,192	3,14,417	3,76,304	3,55,991

74. It may be seen that the landed value from China is below the selling price and cost of the domestic industry except for 2020-23 and 2021-22. The landed value of the goods imported from China were below the selling price and the cost of the domestic industry in the POI. While the landed value computed above is without taking into consideration the applicable anti-dumping duties, the above examination indicates a likelihood that in the event of cessation of the anti-dumping duties, the domestic industry is likely to move into a loss-making situation.

H3.3. Economic parameters of the domestic industry

75. Annexure - II to the anti-dumping rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The anti-dumping rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

76. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Capacity (applicant)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	118	186
Production – Total (applicant)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	113	127
Production – PUC (applicant)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	113	126
Capacity Utilization based on Total Production	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	92	95	68
Domestic sales (applicant)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	110	127

77. The capacity of the domestic industry has increased to cater the increased demand in the country of the subject goods. The domestic industry could not utilize its capacity to a reasonable level. It is also noted that the production and sales of the domestic industry also increased throughout the injury investigation period. As per the

information available on record, though the supporters have increased their capacities during injury period, their capacity utilisation remains suboptimal.

b. Market Share

78. Market share of alleged dumped imports and domestic industry have been examined as below:

Particulars	UoM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	131	171
Domestic sales (applicant)	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	97	84	74
Domestic sales (other producers)	Indexed	***%	***%	***%	***%
Trend	%	100	168	156	165
Domestic sales (total domestic producers)	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	127	114	112
Import from China PR	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	60	74	74
Import from other countries	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	201	201	239

79. It is noted from the above that market share of the domestic industry has declined throughout the injury investigation period. The market share of all Indian producers has increased in 2020-21 but marginally declined after that. The market share of imports from China had decreased in 2020-21 but has increased thereafter with a slight decline in the POI. It is apparent from the above that the imports from China continue to acquire significant market share in demand despite there being unutilised capacities available with the domestic industry and other producers.

80. Further, while the market share of the other producers has increased, the same is increased majorly because of installation of new capacities and production facilities by various new producers largely after the imposition of anti-dumping duties. The information on record indicates that as many as seven new producers have set-up production facilities in the injury investigation period. The Authority notes that it is logical for any new producer to acquire some market share after commencement of production. However, it is also noted from information on record that the capacity utilization of the new producers remains very low at 20% during the POI.

c. Inventories

81. Inventory with the domestic industry has been examined as below:

Particulars	UoM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	117	134

82. It is seen that the average inventory level of the domestic industry has increased throughout the injury investigation period, except for 2020-21. The increased imports from China have affected the inventories of the domestic industry.

d. Profitability, Return on Investment and Cash Profits

83. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed:

Particulars	UoM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	110	127
Sales value (Rs. Lacs)	Rs. Lacs	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	126	219	235
Selling price	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	135	199	186
Cost	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	184	232
Cost	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	167	184
Profit/loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	6,030	7,421	788
Profit/loss per unit	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	6,455	6,749	623
Depreciation	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	116	142
Depreciation	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	106	112
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	636	774	200
Cash Profit	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	680	704	158
Capital employed	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	136	190	164
ROCE	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	820	626	137

84. The profits, cash profit and ROCE of the domestic industry has significantly declined in the POI as compared the previous two years.

e. Employment, Wages and Productivity

85. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particular	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	113	126
Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	135	160
Production/day	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	113	126
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	105	131
Wages / Employee	Rs. / No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	83	78	82

86. It is noted that productivity has increased throughout the injury investigation period and the POI. Therefore, this cannot be a reason for any injury to the domestic industry. It is also noted that the number of employees engaged by the domestic industry in the POI has increased as compared to the base year. It is also submitted by the domestic industry that the same has increased considering addition in capacity and the prospects of increase in demand in the domestic market.

f. Growth

87. The growth of the domestic industry has been positive with respect to production and sales. However, the growth has been negative with respect to profitability, market share, PBIT and ROI. The inventories of the domestic industry have also increased. The increased imports have had negative impact on the growth of the domestic industry.

Particulars	2019-20	2020-21	POI
Production (Domestic Industry-Applicant)	-***%	***%	***%
Domestic Sales (Domestic Industry-Applicant)	-***%	***%	***%
Profit/(Loss) per unit	***%	***%	-***%
Inventory	-***%	***%	***%
Market share of DI (Applicant) in total demand	-***%	-***%	-***%
Profit/(Loss) (Rs. In Lakh)	***%	***%	-***%
Cash Profit (Rs. In Lakh)	***%	***%	-***%
Cash Profit per unit	***%	***%	-***%
PBIT (Rs. In Lakh)	***%	***%	-***%
PBIT per unit	***%	***%	-***%
ROI%	***%	-***%	-***%

g. Ability to Raise Capital Investment

88. The applicant contends that the decline in profitability and return on capital employed has impacted the ability to raise capital investment.

h. Injury Margin

89. The Authority has considered the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been considered by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilization of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilization of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

90. Based on the landed price and NIP considered as above, the injury margin for producers/exporters arrived at is provided in the table below:

INJURY MARGIN TABLE

Producer / Exporters	NIP (USD/MT)	Landed value (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin (%)	Range
Changzhou Sveck Photovoltaic New Material Co., Ltd.	***	***	***	***%	1-10
All others	***	***	***	***%	10-20

I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

91. As per the AD Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

92. The listed known factors have not caused injury, as is seen from the following:

a. Volume and price of imports from third country

93. The majority of imports of the subject goods are happening from China PR. The volume of imports from countries other than China PR are not significant except for Vietnam. As regards the imports from Vietnam, the domestic industry has contended in its application that the present investigation being sunset review investigation, the scope of the subject countries cannot be changed. They have also stated that they are in the process of filing a new application against Vietnam. Noting the submissions made by the domestic industry in this regard, the Authority notes that the scope of the investigation in a sunset review investigation is limited to examining the likelihood of continuation or recurrence of dumping from the countries already subjected to anti-dumping duties. While domestic industry may also be facing injury on accounts of imports from Vietnam, the same is a matter of examination through a separate investigation. In addition, it is also noted that in a sunset review investigation there is no bar in continuation of duties against a subject country even if imports have started coming from other sources post imposition of duties.

b. Contraction in Demand and / or Change in Pattern of Consumption

94. There is no contraction in demand for the products under consideration in India. The demand has, instead, increased significantly throughout the injury investigation period.

c. Change in Pattern of Consumption

95. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices

96. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.

e. Development of Technology

97. Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor of causing injury to the domestic industry.

f. Export performance

98. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause for the injury to the domestic industry.

g. Impact of COVID-19

99. The Authority notes that the performance of the domestic industry during the years impacted by Covid-19 i.e., 2020-21 and 2021-22 was relatively good. It is only thereafter that the performance of the domestic industry has declined in the POI. Thus, the injury suffered by the domestic industry during the POI cannot be linked to Covid-19.

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

100. In a review investigation, the Authority has to determine whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to these dumped imports if the duty is removed.

J1. Submissions by other interested parties

101. The submissions of the interested parties with regard to likelihood of injury are reproduced herein below:

a. The domestic industry has not faced any injury and there is no likelihood of injury to the domestic industry.

J2. Submissions by the domestic industry

102. The submissions of the domestic industry with regard to likelihood of injury are reproduced herein below:

b. The continued dumping and consequent injury on account of the dumped Chinese imports is a robust indicator of an imminent likelihood of ever so intensified dumping and injury in the event of non-continuance of the existing duties.

c. The imports are already coming at dumped prices which are causing injury to the domestic industry. However, the existing anti-dumping duties are acting as a safety net, protecting the domestic producers from suffering losses. If the existing anti-dumping duties are allowed to expire, the same

- would lead to causing significant financial damage to the domestic producers to an extent where the domestic producers shall be forced to shut shop on account of non-remunerative imports.
- d. The domestic industry has been cornered and lost significant business to the Chinese exporters. They have stated that while most of the business transactions in the sector are communicated verbally, they have provided written communication wherein one of their customers has denied to proceed with purchase from domestic industry on account of availability of “cheaper options” from China PR.
 - e. There has been substantial increase in capacities of the product under consideration in China PR. Further, there are further planned capacity enhancements in China PR. They have provided following evidences to substantiate their submission:
 - i. Changzhou Bbetter Century Film Technologies Co., Ltd has signed a project investment with the Xianyang City Equipment Manufacturing Industrial Park Management Committee of Shaanxi Province and Xianyang Qindu District State-Owned Investment Company for the construction of an 8GW photovoltaic module EVA film project in Xianyang, Shaanxi. The total investment of the project is estimated to be 500 million yuan, and the plant is understood to have begun production in 2022. The annual output value of the plant believed to be approximately 1 billion yuan.
 - ii. Changzhou Bbetter Century Film Technologies Co., Ltd has further invested RMB800 million (US\$125 million) into establishing 20GW of ethylene vinyl acetate (EVA) production in the Chinese city of Chuzhou.
 - iii. Dushanzi Tianli Hi-Tech Petrochemical in cooperation with Xinjiang and CNPC has started production in September 2022 in a new EVA project with the capability of producing 200,000 tons/year.
 - iv. On March 3, 2022, Zhongke Refining started up a 100,000 tons/year EVA plant to start up the whole process and produce EVA products.
 - v. In 2022, Gulai Petrochemical started a plant with the capacity of 300,000 tons / year.
 - vi. Further, in 2022, Shenghong Refining started a plant with the capacity of 300,000 tons/ year.
 - vii. The estimated new EVA plant capacity added in 2022 is 900,000 tons.
 - viii. In 2023, Ningxia Baofeng is expected to add three 250,000 tons /year capacities.
 - ix. In 2023, Yulongdao refining and chemical integration is expected to add 700,000 tons / year capacity.
 - x. The estimated new EVA plant capacity to be added in 2023 stands at 950,000 tons.
 - xi. In next five years, China is expected to add new capacities of 1.6 million tons/year taking its EVA production capacity to 3.5 million tons/year.
 - xii. Zhejiang Petrochemical as well as Yanchang Yulin increased their EVA output by 300 tons / year.
 - xiii. Hangzhou first takes up nearly 60% of the global market share, and the top three Chinese EVA makers account for 80% of the global market.
 - f. The domestic industry has submitted an email communication from a potential buyer who has declined to proceed with the order of the subject goods from the domestic industry on account of availability of cheaper alternatives from China PR.
 - g. The existing capacities to produce the subject goods in the country have gone up by almost seven times. Further, considering the growth in the sector in previous years, as many as eight new producers have set up shop to produce and sell the subject goods in the country.
 - h. As a consequence of imposition of anti-dumping duties, the Indian industries were able to compete with the dumped goods from China creating an optimistic atmosphere for industrial growth. This led to significant investment in the sector with multiple companies setting up the production plants in the sector. However, the import prices from China fell significantly in the POI period creating substantial risk to the new investments made in the industry in India. The details of the newly added capacities are as under:

Name of Domestic Producers	Capacity Available
Renewsys India Pvt. Ltd. (Applicant)	***
Vishakha Renewables Pvt. Ltd.	***
Navitas Alpha Renewables Pvt. Ltd.	***
Alishan Green Energy Pvt. Ltd.	***

Enerlite Solar Films India Private Limited	***
Filmtec Solar Private Limited	***
Pixon Green Energy Private Limited	***
Knack Energy	***
Shivam Greentech	***
Sunlink	***
ECAP Greentech Private Limited	***
Total Indian capacity	62,731

J3 Examination by the Authority

103. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the anti-dumping rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties.
104. The Authority observes that this is a sunset review investigation, the focus of this investigation is to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.
105. All the factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine whether there is likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry and other interested parties, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.
106. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, *inter alia*, for factors which are required to be taken into consideration. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry:

- a. **A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation:** from the data on record, the Authority notes that the imports from China decreased in 2020-21 and increased thereafter with a substantial increase in the POI. The details are provided in the table below:

Particulars	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Imports from China (MT)	8,343	4,805	8,091	10,528
Index	100	58	97	126

- b. **Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports:** From the facts and evidences on record, the Authority notes that there has been significant capacity addition in China. The evidences submitted by the domestic industry regarding significant increase in capacities as well as further imminent increase in capacities have not been controverted by any of the interested party. Further, the evidences on record indicate that top 3 Chinese exporters themselves enjoy more than 80% of the global market share. This clearly indicate that in the event of cessation of duties, the dumped imports are likely to enter into Indian market with increased intensity. In addition, the questionnaire response filed by the only cooperating exporter from China also indicates substantial increase in capacities of the said exporter. It is also noted that a significant capacity of the cooperating exporter from China PR is unutilized during the injury period.
- c. **Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports:** From the data on record the Authority notes that the Chinese goods are entering into the Indian market at rates which have significant suppressing/depressing effect on domestic prices. It may be seen that the landed value from China is below the selling price and cost of the domestic industry except for 2020-23 and 2021-22. The landed value of the goods imported from China were below the selling price and the cost of the domestic industry in the POI. While the landed value computed above is without taking into consideration the applicable anti-dumping

duties, the above examination indicates strong likelihood that in the event of cessation of the anti-dumping duties, the domestic industry may move into a loss-making situation.

- d. **Inventories of the article being investigated:** The domestic industry has submitted market reports indicating that there is a “high probability of oversupply” in the EVA market of China. The said report also predicts that the “China's EVA industry will remain basically flat in the next five years”. The questionnaire filed by the only cooperating exporter also indicate significant increase in capacities, production and inventory.
- e. **Continued dumping of the subject goods:** The dumping margin and injury margin both are positive for the imports from China. Thus, in absence of duties, the dumping of the subject goods is likely to continue.
- f. **Third Country dumping:** The Authority has examined the exports of the cooperating exporter to third countries. The same is reflected in the table below:

Particulars	Quantity	Value (RMB)	Value (USD)	% of total exports	Range
Below Normal Value	***	***	***	***%	30-40
Above Normal Value	***	***	***	***%	60-70
Total	***	***	***	***%	

It is noted from the exports to third countries of the cooperating exporter that 36.28% of the exports of the said exporter is at dumped prices.

- g. **Third country injurious imports:** The Authority has examined the exports of the cooperating exporter to third countries. The same is reflected in the table below:

Particulars	Quantity	Value (RMB)	Value (USD)	% Of total exports	Range
Below NIP	***	***	***	***%	30-40
Above NIP	***	***	***	***%	60-70
Total	***	***	***	***%	

It is noted from the exports to third countries of the cooperating exporter that 36.05% of the exports of the said exporter is at injurious prices.

- h. **Third country exports vs. Exports to India:** The Authority has examined the exports of the cooperating exporter to third countries vis-à-vis the exports of the said exporter to India. The same is reflected in the table below:

Particulars	Quantity	Value (RMB)	Value (USD)	% of total exports	Range
Below NEP (India)	***	***	***	***%	30-40
Above NEP (India)	***	***	***	***%	60-70
Total	***	***	***	***%	

It is noted from the above that the cooperating exporter has exported 31.68% of its goods to third countries below its export price to India.

- i. **Landed Value below and above NSR of the domestic industry in the POI:** The Authority has also examined the exports of the cooperating exporter to other countries. The data in this regard is summarized in the table below:

Particulars	Quantity	Landed Value (USD/MT)	NSR (DI) (USD/MT)	Price Undercutting	% of total exports	Range
LV Below NSR	***	***	***	***%	***	30-40
LV Above NSR	***	***	***	***%	***	60-70

107. It is noted from the above that 31.99% of the exports of the cooperating exporter to third countries are priced below the selling price of the domestic industry.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

108. The Authority issued the disclosure statement on 21st December 2023 disclosing essential facts under consideration in the investigation and inviting comments from all the interested parties. Most of the issues raised in the post-disclosure comments have already been raised earlier and addressed appropriately hereinabove. Additional submissions, to the extent relevant, have been examined by the Authority below:

K1 Submissions by other interested parties

109. The following submissions have been made by the other interested parties:

- a. Fresh calculation of dumping margin, injury margin and rate of duty should be done for the participating producer/exporter.
- b. The producer/exporter has provided all the necessary information as and when sought by the Authority in the present investigation. Since, the Authority has conducted comprehensive review where dumping margin/injury margin of producer/exporter and injury to the domestic industry have been redetermined in the sunset review investigation, so the Authority should re-calculate and recommend the duty, if any, based on the current data filed by the producer/exporter.
- c. In a sunset review investigation, the Authority should act in accordance with Rule 23(1) and 23(3), wherein the Designated Authority needs to review the recommendation of anti-dumping duty imposed for the participating producer/exporters. It should not continue the dumping/injury margin calculated in the anti-dumping investigation, rather it should be calculated in the present sunset review investigation based on the present circumstances, especially when the producer/exporter is fully co-operative and providing all necessary information as required by the Authority.
- d. The Authority, in accordance with Rule 17(1) read with Annexure 3, should calculate anti-dumping duty-based dumping/injury margin calculated in accordance with Rules and lesser duty rule based on the non-injurious calculated in the current investigation.
- e. The Authority is duty bound under Rule 4(d) of the Anti-Dumping Rules, to levy anti-dumping duty based on the dumping margin. In the current sunset review investigation, the Authority is bound by the rules to levy duty in accordance with the dumping margin calculated in the current sunset review investigation and should not continue the earlier anti-dumping duty. Further, in accordance with the lesser duty Rule, implement/recommend the duty based on the lower of dumping margin and injury margin.
- f. In the past, the Authority has been consistently applying the above rules in their true spirit and modifying the anti-dumping duty in the sunset review investigation. In several sunset review investigations, the Authority has worked out and recommended fresh rate of anti-dumping duty based on the export data of the participating producers/exporters for the period of investigation. Similarly, in several cases, the Authority has also recommended withdrawal of anti-dumping duty in sunset review investigations.
- g. It is submitted that the present investigation has been initiated by the Authority based on petition filed by the domestic industry. Data submitted in the petition has been used throughout the proceedings including public hearing by the domestic industry. However, to our surprise, the information pertaining to imports and economic parameters of the petitioner shows significant change as compared to the data filed by the petitioner in its petition/ written submissions. The Authority is requested to clarify the source of the data considered by the Authority and the reasons for the above changes before proceeding in this matter.
- h. There was no dumping situation of the product under consideration imported from China PR and there is no likelihood of dumping and injury from the imports from China PR. To continue anti-dumping measures in this investigation will be inconsistent with the long-term and overall interests of the Indian domestic industry and its downstream industries.
- i. The domestic industry alone cannot fulfil the Indian demand; therefore, imports are imperative. The existing duty has served its purpose and no longer required.
- j. The producer/exporter believes that the constructed normal value (CNV) and non-injurious price (NIP) calculated by the Authority is highly inflated and believe that the same is based on hypothetical assumptions.
- k. The Authority has examined the non-injurious price for third country exports and exports to India by using the weighted average NIP/CNY compared with the transaction-by-transaction data which has

resulted into erroneous figures. It is submitted that there are various factors that affect the NIP/CNY are prices of raw materials, salary and wages, cost of utilities, depreciation, etc. The raw material used in the production of the subject goods i.e., EVA granules, HDPE compounds and absolute ethanol. All these products are petroleum based and their prices fluctuate highly.

1. The imposition of anti-dumping duties shall not be in public interest. In the present investigation, there is a high likelihood that the petitioner would dominate the market and would create barriers for market entry, which is harmful to the competitive environment and healthy development of the industry of India. The petitioner is trying to get protection for his own inefficiencies. The petitioner provides in the written submissions filed by them that the capacity of the Indian producers have gone up significantly.

K2 Submissions by the supporters

110. The following submissions have been made by the supporters:

- a. The continuation of anti-dumping is essential for the survival and growth of Indian Industry. The EVA industry in India has seen tremendous growth in last 5 years due to the protection provided by the government in the form of anti-dumping duties.
- b. Despite anti-dumping duties, the Chinese exporters continue to export EVA sheets in the Indian market at unfair prices. However, the existing duties have greatly help Indian industries in cutting losses and acquire access to the market. At this critical juncture, the removal of anti-dumping duties shall lead to a total chaos in the market of which the Indian producers of EVA sheets would be at the receiving end.
- c. Most of the imports post imposition of duties are happening on duty paid basis. Thus, the import prices, which include the duty component, are not reliable for the purpose of computing the landed value. If the Authority is inclined to change the existing anti-dumping duties, the import transactions of the Chinese exporters should be carefully examined before any change in duty is undertaken.
- d. The disclosure statement does not reflect the actual market realities as it states that the injury margin of the cooperating producer is in the range of 1%- 10%. This essentially means that the said exporter is selling the subjects goods in the range of Rs. 360/KG to Rs. 420/KG in contrast to Indian producers' selling price of Rs. 290/KG to Rs. 320/KG, which is not at all possible.
- e. Revocation of duty or reduction in duty shall lead to proportionate decrease in prices, which shall force the domestic producers to either suffer significant losses or close down operation. It is submitted that the earlier duties should be extended without discontinuation/reduction.
- f. At the time the anti-dumping duties were imposed in 2019-20, the EVA prices used to be in the range of 1,50,000 – 1,80,000 Rs/MT. Thus, the duties imposed against China in the range of 537 – 897 USD/MT was considering the then existing prices of EVA sheets. At that time, the duties were imposed considering that there is 30-40% gap between Chinese prices and Indian prices. However, since then the prices of EVA Sheets have increased by almost 100%, owing to increase in raw material price. Due to increase in prices of EVA, the duties imposed earlier are insufficient to protect the industry as they only account for 15%-20% of the EVA prices. On the other hand, the actual gap between the Chinese prices and Indian prices remains to be 30-40%.
- g. Some of the supporters have submitted that the prices of the subject goods have increased since the original investigation. They have requested to increase the quantum of anti-dumping duties imposed on fixed duty basis in line with the increase in prices.

K3. Submissions by the domestic industry

111. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a. There is significant difference in the quantum of imports in the transaction wise data submitted by the domestic industry and the DGCI&S data relied upon by the Authority. The domestic industry understands that the difference in the quantum of imports in DGCI&S data may be owing to difficulty in segregating data and identification of the PUC on account of the fact that there is no dedicated heading/classification for the PUC. However, the Authority may call for DG Systems data to verify the quantum of imports. It is submitted that even the market intelligence of the domestic industry as well as other Indian producers suggest that the imports from China PR are in excess of 15,000 MT during the POI.
- b. As per the market intelligence of the domestic industry, the cooperating exporter is exporting the PUC to India much below the selling price of the domestic industry. Based on the NIP disclosed by the Authority, the injury margin of the cooperating exporter should have been between 20%-30%.

- c. It is noted from the disclosure statement that the injury margin computed for the cooperating exporter is in the range of 1%-10%. Taking into consideration the NIP of the domestic industry, the landed value of the exporter must be between the range of 3,15,000 – 3,30,000 Rs/MT. On top of the landed value, the imports made from the said exporter attract anti-dumping duty of 590 USD/MT or Rs. 47,876/MT. Adding the same in the landed value will give the final import value of Rs 3,62,876 to 3,77,876 per MT. Considering that the domestic industry is forced to sell its product at Rs. *** Rs/MT, it is improbable that the so-called cooperating exporter is selling its product in the range of Rs 3,62,876 to 3,77,876 per MT. Had they been really selling their product on such high prices; the domestic industry would not have hugely unutilized capacities and no buyer even at its current selling price of *** Rs/MT.
- d. Most of the consumers of the domestic industry are also importers of the subject goods. It is submitted that post issuance of the disclosure statement, the domestic industry enquired from its customers about the reason for such high landed value reflected in the disclosure statement. Most of our customers informed us those Chinese exporters are exporting the subject goods at duty paid or delivered basis, wherein the invoice value includes the anti-dumping duty component or after importation expenses up to the delivery of the product to the warehouse. As per the information available with the domestic industry, the cooperating exporter (Sveck) as well as other Chinese producers have exported significant quantities of the subject goods on such basis. The Authority should cross-check this with the exporter and importer and take an undertaking to this effect. The reason for the non-cooperation of the exporters with lowest duties and the importers is that they did not want to disclose this to the Authority. This is the precise reason why the importer, despite being prodded, refused to file its questionnaire response.
- e. The legal mandate in a sunset review investigation is to examine whether there is continuation or likelihood of recurrence of dumping and injury if the duties are not “continued”. To this extent, the law only allows continuation of duties in a sunset review investigation. It is for this very reason that law also provided for a “mid-term review”, where duties can be varied on the basis of changed circumstances.
- f. Duties in the original investigation were based upon the prices and landed value of the subject goods at that time. Since then, the prices of the subject goods have increased significantly owing to increased raw material cost. The increase in raw material prices of the subject goods entail increase in the landed value and NIP, which leads to significant ad-valorem decrease in the duties.
- g. The duties were imposed in original investigation against the cooperating exporter (Sveck) at 590 USD/MT, which was in the range of (25%-35%). The duties against other exporters in the original investigation were 897 USD/MT, which were in the range of (35%-45%). However, owing to increased prices, the said duties, on the basis of current prices shall be in the range of 10%-15% for the cooperating exporter and around 20%-for the non-cooperating exporters, which is much less than the duties imposed in the original investigation but shall be greatly helpful in protecting the domestic industry from further injury.
- h. The impact analysis carried out by the domestic industry in its petition for continuation of anti-dumping duty has not been rebutted by any of the interested parties. The said analysis clearly demonstrated that there will be negligible (0.34%) impact of 20% anti-dumping duty on the end users (without taking into consideration cost of land).
- i. The landed value of China is much below the cost of production of the domestic industry. The domestic industry is able to sell its product above cost only because of the anti-dumping duties in place. However, despite anti-dumping in place, the domestic industry is not able to recover fair price (as determined by the Authority) of the PUC. In such a situation, any reduction in duties shall further deteriorate the condition of the domestic industry and push it into a loss-making position.
- j. The domestic industry is not seeking an excess protection in the present case. On the contrary, the domestic industry is seeking a level playing field against the dumped and injurious Chinese imports in the country. While in the original investigation duties were imposed against 4 countries vis-à-vis China, Malaysia, Thailand and Saudi Arabia, the domestic industry only requested for continuation of duties against China. This itself is evidence of the fact that the domestic industry is not seeking an excessive protection but only a reasonable protection from the menace of the dumped and injurious imports from China.
- k. It is undisputed from the evidences on record that top 3 Chinese exporters themselves enjoy more than 80% of the global market share. In such a situation, the non-cooperation of the Chinese exporters is intentional. Had the said exporters participated before Authority, it would have been clear that there is an increased likelihood of dumping and injury. Their participation would have ensured that the data regarding their capacities, production, inventories and exporters would have been on record. However, said parties chose to not cooperate with an intention to deprive Authority of such critical data and somehow get the duties revoked or reduced. The Authority should take strict note of the intentional non-

cooperation by the Chinese exporters and recommend the continued imposition of duties earlier imposed.

1. While analysing the exports of the cooperating exporter to third countries, only the exports made to Asia-Pacific region should be taken into consideration. It is humbly submitted that the prices outside Asia-Pacific region are historically and naturally higher on account of the macro-economics and the higher labour costs of such regions. The same is evident from the following:
 - i. There are miniscule imports of subject goods into India from countries outside Asia-Pacific region. This clearly show that Indian market is not attractive for the exporters outside Asia-Pacific region. This is because of higher prices prevailing in such countries.
 - ii. Even the exports of the domestic industry beyond Asia-Pacific region are much above their selling prices in India. The same is evident from the details of exports of the domestic industries which is already available with the Authority. For the sake of convenience, the same is also summarised in the table below:

Country	Export price of DI
Argentina	***
France	***
Netherlands	***
Saudi Arabia	***
Spain	***
USA	***
United Arab Emirates	***
Total	***
India (Selling Price)	***

- iii. It is evident from the above that the export price of the domestic industry is above 20% higher in other countries compared to the selling price of the domestic industry in India. This is because the market in India and Asia-Pacific region is differently situated as compared to the market of other countries. Thus, the high-priced exports made to such countries would not depict the correct position regarding the pricing behaviour of the Chinese exporters. However, the market of the PUC in countries like Vietnam, Taiwan, Malaysia etc. are similarly placed as the market in India. Thus, the domestic industry humbly requests the Authority to carry out a separate analysis of the exports made by the Chinese exporter to Asia-Pacific region before concluding on the pricing behaviour of such exporter.
- m. The exports of the cooperating exporter to third country do not hold relevance given the fact that it is an admitted position that significant capacity of the cooperating exporter from China PR is unutilized during the injury period. The Authority would appreciate that since the cooperating exporter has significant unutilized capacities, its thrust would be to utilize its capacity to the fullest and continue to dump in the Indian market.
- n. In a sunset review investigation, the focus of this investigation is to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. However, the domestic industry notes from the written submissions filed by the opposing interested parties and the disclosure statement issued by the Authority that none of the opposing parties have made any submission regarding likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, except for a single generic statement.
- o. None of the interested parties have refuted/countered the vast number of evidences placed by the domestic industry clearly demonstrating likelihood of dumping and injury in the event of cessation/reduction of duties.
- p. The prices of the subject goods are highly volatile. The prices have almost doubled from the original investigation itself. In such a situation, a reference price-based duty shall not be in the interest of either the domestic industry or the users of the subject goods.
- q. On the back of the imposition of anti-dumping duties, increasing demand and the kind protection granted by the Authority from dumped and injurious Chinese imports, the industry made significant investments

in setting up new capacities for production of the subject goods. As against two producers in the original investigations (there were four producers but two closed down by the time duties were imposed), as many as 8 more producers set up plant to manufacture subject goods in India. The capacities to produce subject goods in the country also increased manyfold. Most of the new capacity was added by the industry in the POI on the back of significantly good 2020-21 and 2021-22 when China was facing difficulties in exports on account of Covid-19 and high freight charges. However, once recovered, Chinese exporters have intensified the dumping and a threat of existence is looming large over the industry.

- r. The significantly dumped prices from China not only hamper the performance of the domestic industry, but also restrict imports from other sources (except Vietnam- most of the imports from Vietnam are from subsidiary of M/s Changzhou Bbetter Century film Technologies Co. Ltd., China). Thus, the Chinese imports are also restricting the choices available to Indian customers from other sources.

K4. Examination of the Authority

112. The Authority noted that most of the issues raised in the post-disclosure comments have already been raised earlier and addressed appropriately hereinabove. The submissions raised by the interested parties, to the extent relevant and not addressed elsewhere, are examined hereinbelow.
113. As regards the submission of the domestic industry regarding difference in the import data from private source as submitted by them and the DGCI&S import data as relied in these findings, the Authority notes that upon filing of application, the Authority sought import data from DGCI&S for the tariff headings provided by the domestic industry. The DGCI&S import data was segregated and help was sought from the domestic industry with respect to classification issues concerning PUC, and non-PUC. The difference in the import details between the DGCI&S data and the imports detail in the petition was discussed with the domestic industry at the initiation stage. No concern of any kind was raised by the domestic industry at any point of time during the investigation. Therefore, the contention of the domestic industry with respect to the import volume, raised in the post-disclosure comments, cannot be accepted.
114. The domestic industry has not provided any evidence regarding low price of the producer/exporter or that the cooperating exporter did not report the details of its exports truthfully. As regards the submission of the domestic industry and the supporters that the Chinese exporters including the cooperating exporter are exporting subject goods to India at “duty paid” or “delivery basis”, it is noted that the said parties have not submitted any evidence substantiating their submissions. In the absence of any evidence to this effect, the Authority is not in a position to make any determination to this effect.
115. As regards the submission of the domestic industry that the likelihood examination with respect to the third country exports of the cooperating exporter should be seen vis-à-vis Asia-Pacific region, the Authority notes that there is no basis for a region-specific analysis of the exports made by the exporter.
116. As regards the submission of the domestic industry that reference price-based duty is not appropriate in the present case, the Authority notes that that the prices of the subject goods have undergone significant changes on year-on-year basis since the original investigation. Considering the volatility of the product prices, the Authority deems it appropriate to recommend continuation of duties on fixed quantum basis.
117. As regards the submission of the interested parties regarding the modification of existing duties or continuation of the present anti-dumping duty, the Authority notes that after examining the factual matrix of the case where the domestic industry’s performance continues to be at sub optimal level, and there is a likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, it is considered appropriate to continue the existing anti-dumping duty.
118. As regards the request of the supporters for increase in duties, the Authority notes that there is no basis for enhancement of duties in the present case.
119. As regards the submission of the exporter regarding the basis for construction of NIP and CNV, the Authority notes that the NIP and CNV has been determined on the basis of the standard practice of the Authority and Annexure III and Annexure I of the Rules.
120. As regards the submission of the exporter that there is no likelihood of dumping and injury and the continuation of duties will not be in the public interest, the Authority notes that the relevant examinations are already conducted in the appropriate part of these findings.
121. As regards the submission of the exporter regarding demand supply gap in the country, the Authority has already noted that there is no demand supply gap in the country. The capacity of the domestic producers is significantly above the demand of the subject goods in the country.

L INDIAN INDUSTRY'S INTERESTS AND OTHER ISSUES**L1. Submissions by other interested parties**

122. The submissions made by the other interested parties are as follows:

- i. The world economy including Indian Economy is in bad shape currently due to the pandemic of COVID-19. Further, the entire mission of the nation is geared towards affordable access to alternate renewable energy such as solar energy.
- ii. Under the adverse circumstances of increased duty burden, imposition of anti-dumping duties will make the cost of the subject goods uneconomical and burdensome in the Indian market.

L2. Submissions by the domestic industry

123. The submissions made by the domestic industry are as follows:

- i. The domestic industry has quantified the impact of anti-dumping duties on the end-users as indicated in the table below:

Particulars		UOM	Per Module of 540 WP
EVA Sheets	A	KG	***
Sale Price of EVA Sheets (<i>before levy of ADD</i>)	B	Rs	***
Value of Solar Module	C	Rs	***
Value of other components (Junction Box, inverter, battery cables, mounting structure, LT Panel, System Installation, Civil Work, Mounting kit etc.)	D	Rs	***
Total Value of the establishment	E=C+D	Rs	***
EVA Sheets cost as a % of the total value of the Establishment	F=B/E	%	***%
Quantum of ADD at 20%	G=B*20%	Rs	***
Impact of ADD on End Customer as Compared to the Value of Establishment	H=G/E	%	***%
Impact of ADD on End Customer taking into consideration value of land	I	%	0.005-0.0005

- ii. The claims of the other interested parties that the imposition of duties would substantially affect the solar industry and the availability of solar power in the country are baseless. While none of the interested parties made any meaningful submission with regard to the likely impact on the user industry, it is submitted that the impact of the duties on the module manufacturers would be miniscule. Further, no data information or evidence has been filed by other interested party to establish or even to suggest that the continuance of anti-dumping duties would be having any severe consequence on the user industry. On the other hand, none of the interested party has been able to controvert the impact analysis carried out by the domestic industry in its application which clearly establish almost no impact of duties on the end user.
- iii. The protection of anti-dumping duties on the subject goods has helped the industry to not only establish itself but also grow commensurate to the increasing demand in the country. The imposition of duties has led to significant investment in the sector. The existing capacities to produce the subject goods in the country have gone up by almost seven times. Further, considering the growth in the sector in previous years, as many as seven new producers have set up shop to produce and sell the subject goods in the country. The industry as a whole has created sufficient capacity to cater to the rising demand in the country. It is also a matter of fact that many of these new capacities have come up in the recent past and, therefore, it is absolutely necessary to give support to all these new investments.
- iv. Since it is undisputed that the dumping of the subject goods has increased significantly during the POI, non-continuance of the duties would be severely detrimental to the new investments in the sector. The imposition of duty has, in true sense, led to the industry being self-reliant or "Atma-nirbhar". As stated earlier, if the duties are allowed to lapse at this critical juncture, it would significantly affect the existing, established as well as the new coming industries in the sector negatively.

L3. Examination by the Authority

124. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measure would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
125. It is recognized that the continued imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. The Authority notes that the domestic industry has submitted evidences demonstrating that the effect of anti-dumping duty on the downstream product would be in the range of around 0.34% in case of an imposition of 20% ADD. If the value of land is also taken into consideration, the impact would be even less in the range of 0.005% - 0.0005%.
126. The Authority notes that there has been a significant capacity addition by various producers of the subject goods in the country. The existing duties have encouraged the new producers to come up with new facilities to produce the subject goods. The dumped imports from China pose significant threat to these new producers along with the existing producers.
127. The Authority notes that the fair competition in the Indian market will not be reduced by the continued imposition of the anti-dumping measure. On the contrary, continued imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
128. The Authority also takes note of the fact that while in the original investigation the duties were imposed on the imports from China, Malaysia, Thailand and Saudi Arabia, the present investigation for continued imposition is only against the imports from China. Thus, there are sufficient sources available to the users of the subject goods in the country.

M. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

129. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and facts available before the Authority as recorded in these final findings and on the basis of the determination of dumping and injury and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of existing duties, the Authority concludes that:
- a. The applicant domestic producer constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application filed by them satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
 - b. The Authority notes that in the original investigation three Chinese exporters namely, M/s Changzhou Bbetter Century film Technologies Co. Ltd., Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. / M/s Suzhou First PV Material Co Ltd, and Changzhou Sveck PV New Material Co. Ltd. cooperated with the Authority. However, in the present investigation only one producer M/s Changzhou Sveck PV New Material Co. Ltd. has participated in the investigation.
 - c. The product under consideration continues to be exported to India at prices below the normal value, resulting into dumping of the subject goods.
 - d. The domestic industry performance has improved significantly because of the anti-dumping duties being in place. However, the data / evidences on record indicates that in the event of cessation of duties, the dumped imports are likely to enter into Indian market with increased intensity.
 - e. The Authority also notes from the third country exports of cooperative exporter that significant share of the said exporter's export to third countries are at dumped and injurious prices. However, since the share of imports from the cooperative exporter is only around 7% of the total imports in India from subject country, it is highly likely that the examination of the data of other Chinese exporters would have indicated even greater quantities being exported out of China at dumped and injurious prices indicating the likelihood of further increased imports in India.
 - f. There are significant unutilised capacities available with the Chinese exporters. The evidences filed by the domestic industry clearly indicate that there is a "high probability of oversupply" in the EVA market of China. The said report also predicts that the "China's EVA industry will remain basically flat in the next five years". The questionnaire filed by the only cooperating exporter also indicate significant increase in capacities, production and inventory.
 - g. There is sufficient evidence to indicate that the revocation of the anti-dumping duty against China PR at this stage will lead to continuation of dumping and there is likelihood of further aggravated dumping and consequent injury to the domestic industry.

- h. While the duties are in place against imports from China, Malaysia, Thailand and Saudi Arabia, the domestic industry has only requested for continuation of duties against China. Thus, the anti-dumping duties against Malaysia, Thailand and Saudi Arabia are not to be continued.
- i. It is noted that post imposition of duties, several new producers have started producing the subject goods in the country. The Indian capacity of producing the subject goods has increased by over 400%, which clearly indicates the beneficial effects of the anti-dumping duties.
- j. The continuation of duties for additional period of 5 years shall provide a level playing field to the domestic producers of the subject goods.
130. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury, likelihood of dumping and injury and the causal link.
131. Having concluded that there is positive evidence on the aspect of dumping, injury and causal link, likelihood of dumping and injury, if the existing anti-dumping duty is allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required on subject goods from China PR.
132. Under these circumstances, the Authority considers it appropriate to recommend continuation of existing quantum of anti-dumping duty on the imports of subject goods from China PR. The non-cooperating producers/exporters will be subject to the quantum of anti-dumping duty as specified in the “any others” row indicated in row no. 2 of the duty table given below, which is the same as any others rate as per final findings in the original investigations, and corresponding customs notification. Therefore, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col 6 of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods, as detailed in column 3 of the duty table below along with the footnotes thereunder, originating in or exported from the China PR.

DUTY TABLE

Sl. No.	Sub Heading or Tariff Item*	Description of Goods	Country of Origin/ Country of Export	Producer	Duty Amount	Currency	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3920 1011, 3920 1019, 3920 1099, 3920 6190, 3920 6290,	Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module	China PR	Changzhou Sveck Photovoltaic New Material Co., Ltd.	590	USD	MT
2	3920 9919, 3920 9939, 3920 9999, 3920 9099.		China PR	Any others	897	USD	MT

*Custom classification is only indicative and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC.

N. FURTHER PROCEDURE

133. An appeal against the determination of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority